THE CHILDREN OF PARENTS LIVING BELOW POVERTY LINE (SPECIAL EDUCATIONAL FACILITIES) BILL, 1992

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the special educational facilities to children of parents living below poverty line throughout the country and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir. I introduce the Bill.

THE FREEDOM OF INFORMATION BILL, 1992

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of certain agencies to ensure freedom of access to and obtaining public information for citizens and for matters connected therewith. *The question was put and the motion was adopted.*

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We proceed now to the Bill which is pending consideration and passing, by Shri Suresh Pachouri: The Rozi, Roti, Kapda Aur Makan (Citizens Welfare) Bill, 1991.

THE ROZI, ROTI, KAPDA AUR MAKAAN (CITIZENS' WELFARE) Bill, 1991.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

> "देश भर के सभी नागरिकों को रहने के लिए मकान प्रदान करने, उन्हें सस्ती दरों पर जनता कपड़ा सहित आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने और प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी उपलब्ध कराने तथा उससे संबंधित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मान्यवर, आपने मुझे इसे विचार करने और पारित करने के लिए प्रारम्भ करने की अनुमति दी है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, इस विधेयक—1991 में यह प्रावधान रखा गया है कि हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराने की जिम्मेदारी और जवाबदारी शासन की हो और उसके लिए विधान बनाया जाये, ताकि एक समय-सीमा के अन्तर्गत हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिये रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराया जा सके, ताकि एक कल्याणकारी राज की स्थापना का संकल्प पूरा हो सके। मान्यवर, हमारे यहां जो कंस्टीट्यूशन है उसमें संविधान निर्माताओं ने जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स स्टेट पोलिसी के तहत दिये थे, उसके आर्टिकिल-41 में यह प्रावधान था, मैं उसे कोट करना चाहूंगा:

> "41. Right to work, to education and to public assistance in certain cases—The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of underserved want."

The State is directed by this Article to ensure employment, education and public assistance to all the people within the limits of its economic capacity and development.

मान्यवर, यह सोशल सिक्योरिटी के अन्तर्गत हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल-41 के तहत इस बात का उल्लेख किया है, क्योंकि संविधान के जो निर्देशक तत्व बनाये गये उसमें प्रत्येक नागरिक को जीविका के पर्याप्त साधन, निर्वाह मजदूरी, संतोषप्रद जीवनस्तर व्यतीत करने का उसमें वचन दिया गया है और उसके उपरांत ऐसी व्यवस्था की गयी है कि धन और उत्पादन में सामंजस्य स्थापित हो सके। मान्यवर, रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान आम इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं, जिनको पूरा करने का नैतिक दायित्व उस शासन का होता है जिसे देश की महान जनता बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ निर्वाचन के बाद जिम्मेदारी के रूप में चुनती है। हमारे देश को आजाद हुए 45 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे यहां यह स्थिति है कि उसे यदि हम दयनीय स्थिति कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे आजाद भारत में आम आदमी आज भी इस बात के लिये निश्चित नहीं है कि सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि उसे रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया हो सके और वह निश्चिंत होकर अपने जीवन का निर्वाह कर सके। यद्यपि यह बात कही जाती है कि हमारे देश में जहां खाद्यान्न उत्पादन का प्रश्न है, उसमें हम आत्मनिर्भर हो गये हैं। लेकिन फिर भी

(श्री सुरेश पचौरी]

आए दिन हमको इस प्रकार की खबरें मिलती हैं, विशेष रूप से दो-तीन राज्यों में जिसमें हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश भी शामिल है, कि लोगों को भूख की वजह से मौत का शिकार होना पड़ता है। अभी पिछले ही महीने हमारे मध्य प्रदेश में सरगुजा और झाबुआ जिले में जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें भूख की वजह से कुछ आदिवासी लोगों की मृत्यु हो गयी। इसलिये मैंने इस विधेयक में इस बात का उल्लेख किया है कि सरकार को इस बात का दायित्व अपने हाथ में लेना चाहिए कि वहां आम लोगों को रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराये और इसमें जो विशेष बात है, वह रोटी उपलब्ध कराने की बात है। लेकिन इस सबके पीछे जो व्यवधान उत्पन्न होता है, जो सबसे बड़ी अड़चन आ रही है, वह है जनसंख्या वृद्धि की। हमारे यहां स्थिति यह है कि प्रत्येक मिनट में 35 बच्चे पैदा होते हैं। हमारा देश जो 84 करोड़ जनसंख्या वाला है, उसमें स्थिति यह है कि प्रत्येक वर्ष एक करोड़ अस्सी लाख लोग जन्म लेते हैं। इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि जनसंख्या नियंत्रण पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि जिस सरकार पर हम इस बात की जिम्मेदारी डाल रहे हैं, उस सरकार को रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराने के लिए कह रहे हैं, वह सरकार इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

यद्यपि यह बात कही जाती है कि हमने आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से बहुत प्रगति कर ली है लेकिन ये सारे दावे निरर्थक और बेमानी हो जाते हैं जब हमारे देश के बारे में यह व्याख्या की जाती है कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए न तो मकान है, न उन लोगों के लिए कोई रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था है और न ही हम सभी लोगों को पर्याप्त रोजी और रोटी उपलब्ध करा पा रहे हैं। यह सारी स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि कहीं न कहीं हमारी योजनाओं में कमी है। इसलिए योजना आयोग को विशेष रूप से इस बारे में ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि योजना हमारे यहां बनाई जाती है वह केवल एक एयर कंडीशंड रूप में बैठकर काफी की चुस्कियों के बीच बनाई जाती है और उसके बाद हम यह तय करते हैं कि एक आदिवासी को कितनी वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले मकान की आवश्यकता है जिसमें हम यह कदापि ध्यान देने की आवश्यकता महसूस नहीं करते कि आदिवासी के लिए अन्य और कौन-कौन सी चीजें मुहैया करानी जरूरी हैं। जहां आदिवासी के मकान के लिए हम कुछ वर्ग फीट क्षेत्रफल नियत करते हैं वहीं हमको यह देखना चाहिए कि वह आदिवासी मुर्गी-पालन के लिए कितने क्षेत्रफल जमीन की आवश्यकता महसूस करता है। हम इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि योजनाएं तो ठीक थीं लेकिन कहीं न कहीं उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके कार्यान्वयन में कमी आ गई। फिर हम कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन तो ठीक था लेकिन कहीं न कहीं उसके आशातीत परिणाम नहीं निकले इसलिए वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। लेकिन हम उसकी बुनियाद में नहीं जाते। योजना जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, योजना जिस वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए बनाई जाती है वह वातावरण अनुकूल नहीं होता अपितु वह वातावरण उन लोगों के लिए फिट नहीं होता जिन लोगों के हितों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग उन योजनाओं का निर्माण करते हैं।

इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहां योजना आयोग जब आम आदमी की बेहतरी के लिए, आम आदमी के जीवन-स्तर को सुधारने के लिए, उनके जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए योजना का निर्माण करे तो हमें उन सारी समस्याओं व परेशानियों से सम्बद्ध जो लोग हैं, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए ताकि एक प्रैक्टिकल रूप उस चीज का हो सके और धन और उत्पादन में सामंजस्य स्थापित हो सके। आज स्थिति यह है कि हमारे देश में आज ऐसे 2-4 हजार परिवार हैं, उन तक संपन्नता सीमित हो गई है। यद्यपि हमारा देश जो है वह 84 करोड़ लोगों का देश है लेकिन 2-4 हजार परिवार ही विलासिता और उपभोग के वातावरण में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। केवल 2-4 हजार परिवार के जो लोग हैं, वे सुख और वैभव का अनुभव कर रहे हैं। इन लोगों के रहने की स्थिति की ओर ध्यान दिया जाए तो हम देखते हैं कि उनके जो फार्म हाऊस हैं वे एक-एक, डेढ़-डेढ़ एकड़ जमीन में बने हैं और वे जो अपना सप्ताहांत बिताते हैं संडे और सैटरडे, वह उन फार्म हाऊस में व्यतीत करते हैं लेकिन जो आम आदमी, जो विलासिता की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या 90 प्रतिशत से ज्यादा है, उसकी जिंदगी की गुजर-बसर के लिए जितने क्षेत्रफल जमीन की आवश्यकता होती है, वह जमीन हम मुहैया नहीं करा पाते हैं।

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बारे में विचार करें कि एक आम आदमी के लिए मकान बनाने के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता होती है। हमने निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के तहत यह तो तय कर लिया की गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए मापदंड क्या रहना चाहिए लेकिन हमने यह बिल्कुल तय नहीं किया कि अमीरी की रेखा से ऊपर रहने वालों के लिए क्या शर्तें व मापदंड होना चाहिए। हमने यह तो तय कर लिया की आम आदमी को मकान उपलब्ध कराने के लिए कम से कम कितनी ज़मीन की

आवश्यकता होनी चाहिए लेकिन हमने यह तय नहीं किया कि आम आदमी को मकान बनाने के लिए अधिक से अधिक कितनी जमीन की आवश्यकता होनी चाहिए। इसलिए इस पर भी विचार करने की जरूरत है। हम आवश्यकता और मांग के बीच की जो खाई है उसको नहीं मिटा सकेंगे यदि एक आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए यह तय नहीं करेंगे। हम स्तर तो तय करते हैं कि आम आदमी को इतने कैलोरी फूड की आवश्यकता होती है, इतनी कम से कम प्रतिदिन की मजदूरी होनी चाहिए। लेकिन हम अधिकतम सीमा पर विचार नहीं करते हैं। इसलिए जब गरीबी की रेखा को हम तय करते हैं तो अमीरी की रेखा की सीमा भी तय करनी चाहिए। तब हम असमानता को दूर कर पाएंगे। तब अमीरी और गरीबी की खाई को हम पाट सकेंगे। तब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस राष्ट्र को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए राजीव जी ने कल्पना की थी। उनका वह सपना था कि जब हमारा देश 21वीं सदी में जाएगा तो उस स्थिति में हम गर्व के साथ कह सकेंगे कि हमारा देश एक विकसित देश है।

महोदय, आज जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है उसके अनुसार हमारा देश गरीब देश माना जाता है। हमारे यहां प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति औसत आय जो 300 डालर होनी चाहिए, हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है। यदि इससे कम प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय होती है तो वह गरीब देश कहलाता है। दुर्भाग्य से हमारे देश की गणना ऐसे देशों में आती है। जब हम अपने देश की प्रगति की बात करते हैं तो हमें उन मापदंडों पर जाना पड़ेगा जिन्हें अपनाकर हम इस देश की तरक्की कर सकते हैं और यह देश विकास कर सकता है।

मान्यवर, जहां तक रोज़गार की समस्या का प्रश्न है, हमारे यहां रोजगार वृद्धि की अनुमानित दर 1.6 प्रतिशत है जब कि मांग 3.4 प्रतिशत की है। इस को ध्यान में रखते हुए जो 1.8% बीच में खाई है उसे पाटने की आवश्यकता है। तब हम रोज़गार की जो समस्या है उसको हल कर पाएंगे। मोटे अनुमान के अनुसार हम प्रति वर्ष 1 करोड़ लोगों को रोजगार जब दे पाएंगे तब हम बेरोज़गारी की समस्या से लोगों को मुक्त कर पाएंगे। ऐसा अनुमान किया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से इसके लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। हमने अपने घोषणापत्र में इस बात का वायदा किया था, राजीव जी ने जिस घोषणापत्र को जारी किया था उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाएंगे और जवाहर रजोगार योजना, आर०एल०ई०जी०पी० और आइ०आर०डी०पी० के प्रोग्राम शुरू करेंगे। इस योजना के तहत हमने केन्द्रीय शासन से विभिन्न राज्यों को राशि आबंटित की। लेकिन उसका क्या हस्त्र हो रहा है, उसको जानने का प्रयत्न नहीं किया। मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जो राशि दी गई उसका दुरूपयोग हो रहा है। मैं जिस बात को कह रहा हूं वह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस पैसे का भाजपाकरण हो रहा है। उसकी धनराशि को सरस्वती शिशु मन्दिर को दिया जा रहा है। जिस पैसे को राहत कार्यों पर रोजगार हेतु लगाना चाहिए वह पैसा सरस्वती शिशु मंदिर को आबंटित किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित राशि का इस प्रकार दुरूपयोग कर रही है।

मान्यवर, जहां तक मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि जो एक वर्ष में एक करोड़ लोगों को रोज़गार देने की व्यवस्था इस सरकार को करनी चाहिए वहां पर जब हम रोज़गार के आंकड़ों को देखते हैं तो बेरोज़गारों की संख्या लगभग 5 करोड़ आंकी गई है। जो पिछले समय इसी सदन में उत्तर दिया गया है उसमें 5.19 करोड़ बेरोजगार लोगों की संख्या आंकी गई है और आज तक वह लगभग 5 करोड़ हो गई है। लेकिन योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष श्री प्रणब मुखर्जी है उन्होंने पिछले दिनों इस बात की आशंका व्यक्त की है कि सदी के अंत तक बेरोजगारों की संख्या दस करोड़ हो जायेगी। जब तक हम उस अनुपात को ध्यान में रखकर कोई योजना नहीं बनायेंगे तब तक बेरोजगार की जो विकराल समस्या है उससे मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। इस समस्या को हल नहीं निकाला जा सकता। इसलिए योजनाकारों को योजना बनाते समय इन सारी बातों को ध्यान देना चाहिए।

जहां तक रोजी-रोटी का प्रश्न है गांव से शहर की तरफ लोग पलायन हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो हमारे श्रमिक मजदूर साथी है, गांव में रहने वाले हैं उनके लिए गांव में रोजगार उपलब्ध नहीं है।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) पीठासीन हुए]

वे रोज़गार किस प्रकार कर सकते हैं जबकि उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इसलिए उनको रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीण आंचल में रहने वाले साथी को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो कुटीर उद्योग प्रारम्भ किये गये हैं उन कुटीर उद्योगों से समबद्ध करने के लिए प्रशिक्षण का काम करना चाहिए। आज शहर के मुकाबले गांव में बेरोजगार की समस्या बहुत ज्यादा है। मैंने जो आंकड़े बताये वह रोजगार वृद्धि की जो अनुमानित दर है वह 1.6 परसेंट है और जो मांग है वह 3.4 परसेंट है। इसमें

[श्री सुरेश पचौरी]

अंतर 1.8 परसेंट का है। यह जो खाई है इसको पाटने की आवश्यकता है और इसके पाटने के लिए सरकार की तरफ से आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिएं। ऐसा मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह है तब ही कुछ सार्थक प्रयास हो सकेगा इस देश से बेरोजगारी को दूर करने के लिए। सातवीं योजना के प्रारम्भ में करीब एक करोड़ की बेरोजगारी आंकी गई थी लेकिन इसी सातवीं योजना के अंत तक करीब 4 करोड़ लोगों की बेरोजगारी को आंका गया। इस खाई को दूर करने के लिए जब हम आठवीं पंचवर्षीय योजना पर विचार कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कोई कारगर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। इसलिए जब इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इस खाई को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से कोई कारगर प्रयास किया जाए।

दूसरी बात रोटी के सवाल की है। विभिन्न राज्यों को जो आवंटन है गेहूं का, चावल का, शक्कर का, एडिबल ऑयल का उतना उन राज्यों ने लिया नहीं। इसलिए उन राज्यों के निर्देश दिया जाना चाहिए। उस राज्य के आम आदमी की बेहतरी के लिए जितना आवंटन किया गया उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह उसको उठाये। मेरे पास 1991 के आंकड़े हैं। गेहूं 184.88 लाख टन का एलोकेशन हुआ था और जो लिफ्ट किया गया वह 87.31 लाख टन है। इसी प्रकार चावल 189.47 लाख टन आवंटित हुआ था लेकिन लिफ्ट किया गया 96.61 लाख टन। इसी प्रकार एडिबल आयॅल 8.74 लाख टन एलोकेट किया गया जबकि लिफ्ट किया गया 8.65 लाख टन। इसी प्रकार कैरोसीन आयॅल 82.86 लाख टन एलोकेट किया गया। विभिन्न राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लिफ्ट किया 41.53 लाख टन यह सभी राज्यों की जिम्मेदारी है। मैं किसी एक राज्य पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब अपने राज्य की बात पर आऊंगा मध्य प्रदेश पर जहां बी०जे०पी० राज कर रही है तो पता लगेगा। मेरे पास आंकड़े हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो आवश्यक उपभोग की वस्तुएं हैं जैसे गेहूं, चावल, शक्कर, खाद्य तेल, कैरोसीन 1 जनवरी, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। जितना एलोकेट किया गाय उसके अगेंस्ट जितना लिफ्ट किया गया उसकी मात्रा बहुत कम है। उस प्रदेश के रहने वाले लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसी पार्टी की सरकार वहां पर राज कर रही है जिस पार्टी की इस बारे में कोई आस्था, मान्यता नहीं है। वहां के लोगों को खाद्यान्न की कमी का अहसास नहीं होता, कैरोसीन की कमी का अहसास नहीं हो पाता, गेहूं, चावल की कमी का अहसास नहीं हो पाता उसी प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र सरगुजा और झाबुआ में खाने की कमी से लोग भूखों मर रहे हैं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): तेंदुआ पत्तों की चिंता है उनको।

श्री सुरेश पचौरी: ये आंकड़े इसी सदन में बताये गये हैं।

3.00 P.M.

हमारे प्रधान मंत्री जी ने पिछले दिनों में पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को सुदृढ़ करने की बात कही है जिसके तहत एक लाख 6 हजार 98 ब्लाक्स में पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम व्यवस्थित ढंग से काम कर सकेगा। राशन की दुकानों में सामान्य उपयोग की वस्तुएं आम उपभोक्ता की अच्छी स्थिति में, सही कीमत पर और सही समय पर उपलब्ध हो सकें, ऐसी उन्होंने योजना बनाई है जिसके तहत 2.4 मिलियन लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।

जहां तक कपड़े का प्रश्न है, हमारे देश में आज भी करोड़ों लोग ऐस हैं जो बगैर कपड़े के अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। उन्हें जितने कपड़े की आवश्यकता है, जितना कंजम्प्शन होना चाहिए और जितनी एवेबिलिटी है उसके अनुपात के आंकड़ों को देखा जाये तो संतोष करने वाली बात होती है। लेकिन प्रेक्टिकल में इस बात का आंकलन किया जाय तो आप पाएंगे कि हमारे देश में ऐसे भी भाग है, ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें जितने कपड़े की आवश्यकता होती है वह कपड़ा उचित दर पर और उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर है। वहां पर एक क्षेत्र आबुझमाड़ है जहां पर आज भी लोग बगैर कपड़े के रहते हैं। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि हमें आजाद हुए 45 वर्ष से भी अधिक हो गये हैं, लेकिन इस देश का एक कौना ऐसा है जहां लोग आज भी बगैर कपड़े के रहते हैं। उस स्थान का दौरा दिवंगत नेता श्रीमती इन्दिर गांधी जी ने किया था और श्री राजीव जी ने भी किया था और इस बात पर चिन्ता जाहिर की थी कि आदिवासी बाहुल्य इलाके आज भी ऐसे हैं जहां पर हम लोगों को कपड़ा मुहय्या नहीं कर पाये हैं। जब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें ऐसी नीति निर्धारित करनी पड़ेगी, ऐसी योजनायें बनानी पड़ेंगी कि जिसमें हम आम आदमी को उसकी जरूरत का कपड़ा मुहय्या कर सकें। लेकिन इन सब बातों के पीछे इस देश की तस्वीर छिपी रहती है। जब हम विदेशों में जाते हैं तो इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारे देश में रहने वाले लोगों की स्थिति क्या है? स्थिति से हमारा तात्पर्य और अभिप्राय यह रहता है कि देश में रहने वाले लोगों को क्या दो टाइम की रोटी उपलब्ध करा पा रहे हैं? क्या हम इस देश में रहने वाले लोगों की जितनी जरूरत का

कपड़ा चाहिए वह उपलब्ध करा पा रहे हैं? क्या हम इस देश में रहने वाले लोगों के लिए और नवजवान बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं जिससे वे चिन्ता से मुक्त हो सकें? क्या हमारी योजनाओं के कोई वांछित परिणाम निकल पा रहे हैं? क्या इस देश में आम आदमी के लिए सिर ढकने के लिए जिस छत की आवश्यकता है वह हम मुहय्या कर पा रहे हैं? उसके लिए दो टाइम की रोटी मुहय्या कर पर रहे हैं? अगर हम यह नहीं करा पा रहे हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक और निन्दीय बात होगी। विदेशों में इस बात की आलोचना होती है। कई बार हमारे प्रतिनिधि मंडल जिनमें विभिन्न राजनैतिक दलों के लोग रहतें हैं वहां जाकर अपने देश का जिक्र करते हैं तो हम बड़े गौरव के साथ और फक्र के साथ कहते हैं कि हमारे देश में आम आदमी अच्छे ढंग से रहता है। लेकिन जब हम अपने देश में आम आदमी के बारे में विश्लेषण करते हैं तो हम कुछ और ही पाते हैं। हमारे मन्तव्य में कोई परिवर्तन न हो, हमारे सोच में कोई फर्क न हो, इसलिए यह जरूरी है कि हमारे समाज में यह जो फर्क है इसको दूर करने की जरूरत है। हम इस प्रकार की योजनायें बनायें, इस प्रकार के विधान बनायें जिसमें हम राज्यों को निर्देश दें कि आम आदमी के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा करने के लिए हम कार्य करें।

मान्यवर, मिनाई एक शायर हुए हैं। उन्होंने कहा है, सब कुछ अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या? यद्यपि हम मिनरल्स की दृष्टि से बहुत परिपूर्ण हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से हम परिपक्व हैं, हमारे देश की जो सभ्यता है उसकी विदेशों में बहुत दुहाई दी जाती है। लेकिन हमारे देश में आम आदमी की जो स्थिति है वह बड़ी दयनीय है। उसका वर्णन इस रूप में किया गया है—

> 'सब कुछ अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादे लपेट लो, लंगोट नहीं तो क्या?'

हम सब चुनाव के समय बहुत कुछ बातें करते हैं। आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिये अपने घोषणा-पत्रों में जिक्र करते हैं और नयी नयी योजनायें बनाते हैं, इसमें हम सब लोग शामिल हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ, उन वायदों का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ इसके लिये हम हर तरह के बहाने बना देते हैं, तरह तरह के विधानों के जिक्र करते हैं और कहते हैं ये ये थोड़ी फाइनेंशियल प्राबलम आ गयी थी, ये ये थोड़ी दिक्कतें आ गई थी, ये ये थोड़ी अड़चनें आ गई थी जिसकी वजह से जो वायदे किये गये थे उन वायदों की पूर्ति की दिशा में हम लोग सार्थक प्रयास नहीं कर पाये। हम लोग कुछ ऐसे परिणाम नहीं दे पाये जिन परिणामों का जिक्र हमने चुनाव के समय किया था। इसीलिये ऐसी स्थिति हो गई है कि राजनीतिज्ञों का अवमूल्यन हो गया है। राजनीतिज्ञों के प्रति आम लोगों की आस्था उठ गयी है और उनसे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। जब हम लोग आम लोगों के बीच में जाकर यह बात कहते हैं कि हम उनकी बेहतरी के लिये कुछ कदम उठाना चाहते हैं तो लोग हमें शंका की नजरों से देखते हैं, आश्चर्य भरी भृकुटि से देखते हैं और सोचते हैं इसके पीछे कोई न कोई राज होगा, इन लोगों का जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ज़रूर कोई न कोई मकसद होगा और इसीलिये हम लोगों को लुभाने के लिये हम लोगों से ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन जब बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की बात होती है, तो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिये हमें एक निष्पक्ष दृष्टि से, बड़ी ईमानदारी और साफ दिल से आम लोगों के बीच में जाना चाहिये और केवल इतने ही वायदे करने चाहिये, जिनकी पूर्ति की दिशा में हम लोग कदम उठा पायें, जिन वायदों के पीछे वह तड़प छुपी हो जो आम हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आम आदमी की तड़प होती है। यह नहीं होना चाहिये कि उसके पीछे कोई राजनैतिक तड़प हो। तो ये सारी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिये।

हमारे देश में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की तरफ जब वे नजर दौड़ाते हैं तो उनकी तरफ वे ईर्ष्या और घृणा से देखते हैं। ईर्ष्या तो सम्पन्न आदमी को देखने से होती है। लेकिन जब घृणा पैदा हो जाती है तो वह घृणा विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। जिन डेढ़ हजार-दो हजार हमारे देश में रहने वाले परिवारों का मैंने जिक्र किया उनकी यहां स्थिति यह है कि उनके यहां रहने वाला जो कुत्ता है, उस कुत्ते को ओढ़ाने के लिये भी गरम कपड़े होते हैं। लेकिन आम आदमी, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला आम आदमी है, जो किसी तरह अपनी जिंदगी जुजर-बसर कर रहा है, उसे गर्म कपड़ा छोड़िये, उसे अपने तन को ढकने के लिये दूसरा कपड़ा भी हम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। यह हमारे लिये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन डेढ़-दो हजार परिवार में रहने वाले कुत्ते की स्थिति का जिसका मैंने वर्णन किया है, उनको पीने के लिये दूध मुहैया होता है, उनको मटन उपलब्ध कराया जाता है, उनको तमाम दूसरी चीजों का सेवन कराया जाता है लेकिन, आम लोग, जिनका मैंने जिक्र किया, जो गरीबी के रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनके बच्चे, उनका जो बच्चा पांच वर्ष से कम होता है, उनको हम दो टाइम दूध उपलब्ध नहीं करा पाते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट, उनका मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो सके। जब उनका मानसिक विकास अच्छे ढंग से नहीं होता है तो राष्ट्र की प्रगति में उन बच्चों का कोई योगदान नहीं होता। तो इस तरह से हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की प्रगति से कहीं न कहीं अवरोध पैदा कर रहे हैं। इस अवरोध को दूर करने के लिये आवश्यक है कि इस खाई को पाटा जाये। इसलिये मैंने मान्यवर, इस बिल को यहां प्रस्तुत किया है, इस आशा

[श्री सुरेश पचौरी]

और उम्मीद के साथ कि इस बिल, इस विधेयक को जो मैंने प्रस्तुत किया है और जिसमें इन सारी बातों का उल्लेख किया गया है, उनको सरकार बहुत गंभीरता से ले और गंभीरता से लेने के बाद निश्चितरूप से इस ढंग से कारगर कदम उठायें जाये ताकि जो खाई आम आदमी-गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच में ज्यादा बढ़ती जा रही है, दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वह पाटी जा सके। आंकड़ों के माध्यम से हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में, इंस्ट्रियल फील्ड में और दूसरे फीडों में हम ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, लेकिन ये आंकड़े हम लोगों को संतुष्ट करने वाले आंकड़े नहीं हो सकते हैं। आम आदमी की आंखों से निकले आंसुओं को पोंछने की दृष्टि से इन आंकड़ों का कोई असर नहीं होने वाला है। इसलिये आज इस बात की आवश्यकता है कि योजना आयोग को आप निर्देश दें कि वह इस प्रकार की योजनायें बनायें जिनसे हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पायें ताकि हम, जो हमारे नेता राजीव गांधी का लक्ष्य था, इक्कीसवीं सदी में हम विकसित देश के रूप में कहलायें और हम सम्मान के साथ अपने देश का नाम विदेश में जाकर ले सकें वह पूरा हो सके। इससे अपने देश के लोगों का जब जिक्र होगा, चाहे हम किसी भी राजनैतिक दल के लोग हों, जब हम प्रतिनिधिमंडलों में बाहर जायेंगे तो हमारे देश में रहने वाले लोगों की बेहतरी का हम वहां जिक्र कर पायेंगे। महोदय, जो महानगर हैं उसमें भी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर मैं दिल्ली का भी जिक्र करूं तो लगभग 53 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो झुग्गी-झोपड़ियों में आज भी निवास कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी सरकार की योजना इस प्रकार की है कि लगभग 47 प्रतिशत लोगों को ही हम लोग मकान मुहैया करा पाए हैं लेकिन 53 प्रतिशत लोगों को मकान की सुविधा उपलब्ध हो पाए, इस प्रकार की हम लोग योजना नहीं बना पाए। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि आम आदमी को कम से कम मकान के लिए कितने वर्ग फुट जमीन की आवश्यकता है, इस पर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान्यवर, इसमें एक और बात है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। फिक्की में अभी आवास समस्या पर एक सिम्पोज़ियम हुआ था जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि हमारे देश को सन् 2000 तक एक करोड़ मकानों की आवश्यकता होगी। लेकिन जो राष्ट्रीय भवन संगठन ने सर्वेक्षण 1981 में किया था। उसने पाया कि हमारे देश में आवास इकाइयों जो कमी होगी वह 23.3 मिलियन की होगी जिसमें 7 मिलियन शहरी क्षेत्र में और 16.3 मिलियन ग्रामीण क्षेत्र में होगी। लेकिन 1990 में इसी संगठन ने सर्वेक्षण किया तो उसने पाया कि हमारे देश में आवास इकाइयों की जो कमी है वह 23.3 मिलियन से बढ़ कर 30.3 मिलियन हो गई है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में मकान की समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। हम इस समस्या को दूर करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा पाए है जबकि हमारे देश में 3 करोड़ मकानों की कमी आंकी गई थी और उस कमी को पूरा करने के लिए सालाना हमको 25 लाख मकान बनाने पड़ेंगे। औसतन एक हजार की जनसंख्या पर हम लोगों को 8 से 10 मकान बनाने की आवश्यकता होगी लेकिन आज जो हमारे देश की स्थिति है उसका जब हम आकलन करते हैं तो विशेषज्ञों ने अपनी राय प्रकट की है कि प्रति एक हजार व्यक्तियों पर हम लोग केवल 3 मकान उपलब्ध करा पा रहे हैं। इस अनुपात को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, तब हम आम आदमी को छत मुहैया करा पायेंगे। अभी जो स्थिति है, वह स्थिति संतोषप्रद नहीं है। शहरों में मकानों का निर्माण और आपूर्ति जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वह रफ्तार भी संतोषप्रद नहीं है। आवास पूर्ति की जो दर है अखिल भारतीय स्तर पर वह 91 प्रतिशत आंकी गई है जबकि इसी अवधि में जो आबादी है वह 230 प्रतिशत बढ़ी है अर्थात् 91 के अनुपात में 230 का जो यह अंतर है वह बहुत बड़ा अन्तर है। इसको पूरा करने की आवश्यकता है। मान्यवर, यह सरकार के आंकड़े हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। जो संकलित रूप में आंकड़े हमारे पास बैठते हैं वह 1.06 करोड़ बैठते हैं और जो मकानों की कमी है वह 2.06 करोड़ मकानों की हमारे देश में कमी है। लेकिन इन मकानों की कमी को पूरा करने के लिए जो विभिन्न योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं में भी बहुत कुछ खामियां हैं। जैसे इन्दिरा आवास योजना बनाई गई। उसमें जो यूटीलाइज़ेशन हुआ वह यूटीलाइज़ेशन 91.49 प्रतिशत हुआ है अर्थात् जितनी राशि इन्दिरा आवास योजना के तहत 2687.11 करोड़ आबंटित की गई थी उस अनुपात में यह राशि भी पूरी की पूरी व्यय नहीं हो पाई। केवल 2458.43 करोड़ रुपया उस राशि में से व्यय किया गया। इसी प्रकार हाऊसिंग शार्टेज का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे पास जो ब्यौरा मंत्री जी ने इसी सदन में दिया है वह यह है कि 1981 में 23.3 मिलियन मकानों की कमी थी, वह बढ़ कर के 1986 में 27 मिलियन हो गई और 1987 में वह 27.8 मिलियन हो गई और 1988 में 28.4 मिलियन हो गई अर्थात् लगातार यह संख्या बढ़ रही है। लेकिन सरकार हमारे योजनाकारों को इस प्रकार के निर्देश नहीं दे रही है कि मकानों की जो कमी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है उसको पूरा करने के लिए कोई कारगर योजना बनाएं। बहुत सारी योजनाएं यद्यपि सरकार ने बनाई हैं जैसे रैन बसेरा योजना बनाई है, जवाहर रोजगार योजना के तहत बनाई गई योजना, इन्दिरा आवास योजना के तहत बनाई

गई योजना और हुडको योजना के तहत बहुत कुछ पावर दी गई। लेकिन 1981 से 1990 तक जितने मिलियन आवास इकाइयों की कमी थी, उसकी ओर हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया।

1981 में 23.3 मिलियन आवास इकाइयों की हमारे देश में कमी थी। सन् 1990 में इस बात का अंकलन किया गया तो 23.3 मिलियन आवास इकाइयों की कमी हमने पायी। हमारे यहां जो शहरी आबादी है उसका लगभग 45.8 प्रतिशत और ग्रामीण आबादी के 44.5 प्रतिशत जो लोग हैं वे आज भी आवासहीन अवस्था में रह रहे हैं और एक कमरे में उनका पूरा का पूरा परिवार रह रहा है। इस प्रतिशत वाले ग्रामीण और शहरी लोगों की स्थिति यह है कि एक कमरे के मकान में उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, सोते हैं, वहीं खाना खाते हैं। वही उनका ड्राइंग रूम है वही डाइनिंग रूम है और वही स्लीपिंग रूम है। सब वहीं के वहीं हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इस बारे में कोई प्रयास नहीं हो पा रहा है। जबकि डेढ़ दो हजार परिवार ऐसे हैं जो डेढ़-डेढ़ दो-दो एकड़ के फार्म हाउसेज में अपनी जिंदगी का उपभोग कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो 45 प्रतिशत से अधिक हैं शहरों और इन क्षेत्रों में वह केवल एक कमरे के मकान में रह रहा है। लेकिन इस सबके पीछे जिन योजनाओं का मैंने जिक्र किया वह सही नहीं बन रही है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ चन्द्रेश पी॰ ठाकुर): पचौरी जी, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप चाहेंगे कि और संसद सदस्य भी आपके रिजोल्यूशन पर बोलें। उस हिसाब से एक लम्बी लिस्ट है। तो इसको ध्यान में रखकर अपने विचार प्रकट करें।

श्री सुरेश पचौरी: मैं जल्दी से ही समाप्त करूंगा।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): धोती कपड़ा और मकान के लिए लम्बी लाइन लगती ही है।

एक माननीय सदस्य: इसमें रोजी भी जुड़ी हुई है।

श्री शंकर दयाल सिंह: पचौरी जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। हम लोगों को सुनने में भी अच्छा लग रहा है। इनको ज्यादा समय दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ चन्द्रेश पी॰ ठाकुर): उनका बिल है इसलिए समय तो है ही। लेकिन वे चाहेंगे कि और लोगों का भी समर्थन उनके बिल पर हो।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): एक बात मैं यह चाहता हूं कि आधी बात वे तिरूपति के सेशन में कह दें।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ चन्द्रेश पी॰ ठाकुर): क्यों, यहां का तिरूपति से क्या संबंध है। क्या यह संसद के लिए उपयुक्त नहीं है।

श्री मोहम्मद सलीम: जरूरत से ज्यादा उपयुक्त है।

श्री सुरेश पचौरी: हमारे देश में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और जो निवेश है यदि हम उसका आकलन करें तो पंचवर्षीय योजनाओं के तहत लगातार उस निवेश में कमी आई है। उसके प्रतिशत पर हम गौर करें तो प्रति पंचवर्षीय योजना में कुल निवेश का 34 प्रतिशत आवास पर खर्च किया गया है और जब सातवीं पंचवर्षीय योजना का हम जिक्र करते हैं तो पाते हैं यह मात्रा घटकर 10 प्रतिशत रह गयी यानी इन निवेश में भी योजनाकारों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। निवेश में बढ़ोत्तरी तो छोड़िए लेकिन उसमें लगातार कमी आ रही है। उस खाई को पूरा किया जाए और साथ ही योग्यता के आधार पर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, चाहे वही पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो चाहे सेमी गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो योग्यता के आधार पर उन लोगों को हम रोजगार मुहैया करायें। इस बारे में हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं किये गये। जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात है, आम आदमी को कपड़ा मुहैया होने की बात है यदि हम प्रतिवर्ष उनका आकलन करें तो मेरे पास इस बात के आंकड़े हैं लेकिन चूंकि आपने बंदिश लगा दी है इसलिए उनका जिक्र नहीं करूंगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ चन्द्रेश पी॰ ठाकुर): मैंने बंदिश नहीं लगायी है। मैं इतना ही कहता हूं कि आप इसको ध्यान में रखें कि और लोगों के भी विचार आने है...**(व्यवधान)** आप अपने विचार रखिए। कोई बंदिश नहीं है आप पर।

श्री सुरेश पचौरी: मान्यवर, मैं जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आफ काटन क्राप की बात कर रहा हूं उसमें भी प्रतिवर्ष कमी आ रही है और मिनिस्ट्री आफ टेक्सटाइल की तरफ से ऐसे कोई प्रयास नहीं किये गये कि उस कमी को पूरा करने के लिए हम कुछ योजनाएं बनाये या हमारी तरफ से कोई पहल हो। यही स्थिति मकानों की है, कपड़े की है, रोजगार की है, खाद्यान्न सामग्री की है जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत है। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की व्यवस्था यद्यपि राज्य सरकारों के ऊपर रहती है तो भी राज्य सरकारों के ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो इसेंशियल कमोडिटीज आम आदमी को उपलब्ध कराने की बात है उसमें हम यह सुनिश्चित करें कि उन लोगों को सही दाम पर हम उपलब्ध करा पायें यदि सही दाम पर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो यह हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है और हमारी तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उन राज्य सरकारों पर न केवल हम अंकुश लगायें बल्कि उनके खिलाफ हम कोई कार्यवाही कर पाए। आम आदमी को मकान उपलब्ध हो पाए इसके लिए हमारी तरफ से कुछ इस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए जिनका मैंने जिक्र किया।

[श्री सुरेश पचौरी]

मान्यवर, अकबर इलाहाबादी की इन पंक्तियों से मैं अपनी बात खत्म करता हूं:

"हुए मुहजजिब कि घर का मुंह न देखा कभी,
कटी उम्र होटलों में और मरे अस्पतालों में।"

हमारे देश के आम आदमी का जब जिक्र हो, तो इस माने में नहीं हो, बल्कि हम फक्र और गर्व के साथ इस बात का जिक्र कर सकें कि हमारे देश में रहने वाला जो आम आदमी है, वह खुशहाल और सम्पन्न है और हमारा देश प्रगति और विकास के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह तब संभव हो पायेगा, जब हम आदमी को रोज़ी, रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करा पायेंगे और यह सब तब हो पायेगा, जब हम इस सदन में बैठ कर राजनीतिक पार्टियों के ऊपर उठ कर एक ऐसे विधान को हम बनायेंगे, जिसके तहत आम आदमी की बुनियादी जो आवश्यकता की जो चीजें हैं, जिसमें, रोज़ी, रोटी, कपड़ा और मकान हैं, उसे हम मुहैया करा पायेंगे।

मान्यवर, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस विधेयक को मेरे सभी सम्मानित सदस्य समर्थन देंगे और सरकार इसके गंभीरता को समझते हुए इस विधेयक को स्वीकार करेगी। धन्यवाद, जय हिंद।

The question was proposed

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ चन्द्रेश पी॰ ठाकुर): गौतम जी, दस व्यक्ति लिस्टेड हैं और मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा।

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Sir, I assure you that I will not take much time.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): This is only my humble request. Please go ahead.

श्री संघ प्रिय गौतम: मान्यवर उपसभाध्यक्ष जी, मैं वास्तव में श्री पचौरी जी के विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पचौरी जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, कृपया बैठिये।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ चन्द्रेश पी॰ ठाकुर): पचौरी जी, यह आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम: महोदय, देखने में तो इनका विधेयक बड़ा सरल और सीधा मालूम होता है, लेकिन इसमें बड़ा ही मानवीय मर्म छिपा हुआ है और इसलिए इस विधेयक का समर्थन करना बहुत आवश्यक है।

बहुत अच्छा होता कि पचौरी जी यदि उन कारणों पर भी प्रकाश डालते कि यह आम नागरिक की जो रोज़ाना जरूरत की चीजें हैं, वह आज तक उसको क्यों नहीं मिल पाई और फिर कैसे मिल सकती है, उन सुझावों को पेश करते। लेकिन बार-बार यह कहते हुए कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर हम बात करें, वह मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में ही फंस गये।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ चन्द्रेश पी॰ ठाकुर): उनके अनुरोध को मानिये, दलगत राजनीति से ऊपर उठिये।

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं बताना चाहता हूं कि पचौरी जी का विधेयक आम जनता के लिये है **(व्यवधान)** आपका विधेयक न एक ....**(व्यवधान)**

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय: ब्लैक-मार्केट बंद करिये।

श्री संघ प्रिय गौतम: आपका विधेयक न एक राज्य के लिए है और न एक दल के लिए है, विधेयक सारे देश के लिए है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ चन्द्रेश पी॰ ठाकुर): ऐसा उन्होंने नहीं कहा। वह बिल तो फार्मल है। ...**(व्यवधान)**।

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय: वह ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम: सब पब्लिक के लिए हैं। मान्यवर, प्रत्येक नागरिक को रोज़ी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय और सम्मान, यह प्रत्येक नागरिक को मिले, यह प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए भी है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान की मूल, प्रस्तावनाओं में संकल्प के माध्यम से इस बात को कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय देंगे। जब हम आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो निस्संदेह रोज़ी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, सुरक्षा, न्याय और सम्मान प्रत्येक नागरिक को मिलना ही चाहिए। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है।

यही नहीं मान्यवर, हमने संविधान की मूल प्रस्तावना में बराबरी की बात भी कही है और जब बराबरी की बात कही है, जब हमने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को स्तर और अवसर की समानता होगी। अवसर उसे रोजी पाने का भी मिलेगा, जैसे बड़े नागरिक को मिलेगा, बड़े घर में पैदा होने वाले को, मिलेगा वैसे ही छोटे घर में पैदा होने वाले नागरिक को भी मिलेगा। मान्यवर, यही नहीं, भारतीय संविधान की धारा 41 में काम के अधिकार के रूप में भी हमने इस बात को स्वीकार किया है और जैसा पचौरी जी ने कहा, भारतवर्ष का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, जो इन बातों को स्वीकार न करता हो, प्रचारित और प्रसारित न करता हो कि प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार की सुविधायें मुहैया करायेंगे। मान्यवार, मैं कुछ तो कारणों में जाना चाहता हूं कि यह अभी तक क्यों सारी सुविधायें प्रत्येक नागरिक को मुहैया नहीं हुई।

सबसे बड़ी चीज होती है राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जब प्रारंभ किया तो उसके पीछे यह राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि इससे लोगों को काम मिलेगा। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके उत्तराधिकारियों ने उसको नजरअंदाज कर दिया।

Today, about 50 per cent of the public sector undertakings are on the verge of collapse. Either they are sick or they are running under heavy losses meaning thereby that the avenues of employment are decreasing rather than providing employment to those persons who are in the list of employment exchanges.

तो आज यह परिस्थिति हो गयी है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधान मंत्री का एक क्रैश प्रोग्राम चलाया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और कहा कि बैंकों से गरीबों व बेरोजगारों को पैसा मिलेगा। वह वास्तव में मिलना भी शुरू हुआ। जो लोग अन-एम्प्लाइड थे, वे स्वतः रोजगार के लिए बैंकों से पैसा ले आते थे, लेकिन उस बैंकिंग सिस्टम को भी इन्होंने प्रायवेट और विदेशियों के हाथ में देकर इंदिरा गांधी के स्वप्न को भी धूमिल कर दिया। वह जो एम्प्लायमेंट एवेन्यूज जो स्वतः रोजगार के थे, वह समाप्त कर दिए। तीसरा प्रोग्राम स्वर्गीय संजय गांधी ने चलाया था। उन्होंने कहा था कि आबादी पर रोक लगनी चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस काम को अंजाम देने के लिए संजय गांधी का जिंदा रहना बहुत जरूरी था। हो सकता है कि वह आबादी पर रोक लगाने- वालों में एक बहुत बड़ा इंसान सिद्ध हो जाता। मुझे तो इस बात का पूरा विश्वास है। यही नहीं, संजय गांधी ने बेकार नौजवानों को इकट्ठा किया और उनके हाथ में फावड़े और तसले दे दिए और कहा कि सड़क बनाओ, पेड़ उगाओ। सड़क बनाने और पेड़ उगाने में नौजवानों को लगा दिया। लेकिन ये संजय गांधी को भी भूल गए। राजीव गांधी ने कोई काम नहीं किया जिसकी ये रोज दुहाई देते हैं। कोई कार्यक्रम राजीव गांधी ने नहीं दिया। राजीव गांधी ने तो 21वीं सदी की बात कही, "लोग होंगे बेरोजगार, कंप्यूटर करेंगे काम, उद्योग-धंधे होंगे खत्म, बड़े उद्योग-धंधे बनाएंगे आम लोगों के काम।" राजीव गांधी ने तो ये दिया। जो काम करनेवाले लोग थे, उन्हें ये भूल गए। उन्हें ये याद भी नहीं रखेंगे। तो इच्छा शक्ति रही नहीं। अपने पूर्वजों के रास्ते पर ये चले नहीं। उपसभाध्यक्ष महोदय, चूंकि इन्होंने जिक्र किया, इसलिए मुझे कहना पड़ा वरना मेरी आदत नहीं है। मैं कभी किसी नेता और राजनीतिक दल पर कीचड़ नहीं उछालता हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ नरेश पी॰ ठाकुर): वह आदत आपकी बड़ी स्वस्थ है, उसे बनाए रखिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अब सुझाव देना चाहता हूं। हमने करना क्या होगा? क्या यह आवश्यक नहीं है कि रोजी-रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, सुरक्षा, न्याय और सम्मान प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो समाज के अंदर अराजकता रहेगी, अशांति रहेगी, देश पिछड़ा रहेगा, देश की एकता व अखंडता खतरे में रहेगी, असामाजिक तत्व उभरेंगे और इन बेकार नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेंगे। उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएंगे। देश का भविष्य अंधकारमय होगा। इसलिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले रोजी के अवसर पैदा करने चाहिए। ये रोजगार के अवसर पैदा कैसे होंगे? रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उत्पादन के साधन बढ़ाने से। उत्पादन हमारे यहां दो प्रकार का है-एक है खेती का उत्पादन और दूसरा है उद्योग का उत्पादन। खेती हमारे देश के लिए मूल देन है, प्राकृतिक संपदा है। आज हजारों, लाखों, करोड़ों हैक्टेयर जमीन जोकि ऊसर, बंजर, कल्लड़, जोहड़ और जो नाले, कोले पड़े हुए हैं, आज सरकारों को बुल्डोजर लगाकर इसको इकसार और समतल कराने पर लगा देनी चाहिए जिससे कि लाखों लोगों को काम मिल जाएगा। खेती जब होगी, पानी निकलेगा, फसल उगेगी और खेती पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग-धंधे घरों में लगेंगे तो स्वतः रोजगार मिलेगा। क्या इनकी सरकार यह करना चाहती है। नहीं करना चाहती।

क्या कोई बजट में प्रावधान किया है? नहीं किया है। क्या कोई आपकी इच्छाशक्ति है? नहीं है इच्छा शक्ति।

मान न रखावे आपनो, चोरे गोली दे।

मान्यवर, सरकार तो आपकी है। यह आपको चाहिए। आपका ध्यान उधर नहीं है। कुटीर उद्योग-धंधे का, मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे इलाके में कोली कपड़ा बुनते थे, जिन्हें बुनकर कहते हैं। एक हजार मीटर कपड़े को दो सौ कोली हाथ से बुनते थे। इस तरह दो सौ आदमियों को काम मिलता था। जब आ गए पावरलूम, तो उसी एक हजार मीटर कपड़े को बीस आदमी बिनने लगे। उसके बाद जब आ गई इण्डस्ट्री तो उसी एक हजार मीटर कपड़े को एक मशीन से एक आदमी तैयार करने लगा। इस तरह 199 आदमी बेकार हो गए। आप जा तो इस दिशा में रहे हैं यानी उल्टी दिशा में जा रहे हैं। आप बड़े उद्योगों को भी लगाइए लेकिन किस के लिए? बड़ी चीजों को पैदा करने के लिए, जो विदेशों में बिके, ऐसी मशीनरी बनाने के लिए जिससे दूसरी मशीनें चले। लेकिन, छोटे उद्योग-धंधे, कुटीर उद्योग धंधे लगने चाहिएं, बढ़ने चाहिएं, जिससे लोगों को काम मिले। यह आप करने नहीं जा रहे हैं बल्कि आप उनको और खतम करने जा रहे हैं।

मान्यवर, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जो जोब-ओरिएंटेड एजुकेशन है वह हमारे देश में होनी

(श्री संघ प्रिय गौतम)

चाहिए। आपको मालूम है, मान्यवर, कि स्वर्गीय महात्मा गांधी और मरहूम जनाब डा० जाकिर हुसैन साहब ने एक शिक्षा योजना बनाई थी, जिसका नाम था वर्धा शिक्षा योजना। वह शिक्षा योजना क्या थी? प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ाई के साथ-साथ काम करना था...**(व्यवधान)**... Sir, I would request you to ask the hon. Members either to go to the lobbyor to sit silently here.

THE VICE CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Please co-operate. Let him speak.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I am requesting you through him.

मान्यवर, वह वर्धा शिक्षा योजना क्या थी? मैंने उस शिक्षा को ग्रहण किया था, हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। मैं पढ़ने में टोपर था, पोजीशन होल्डर रहा हूं हाईस्कूल तक। हम पढ़ने के साथ-साथ कागज से अबरी बनाते थे, लकड़ी के खिलौने बनाते थे, कागज के खिलौने बनाते थे, तकली से सूत कातते थे, अटेरर पर सूत अटेरते थे और इसके बाद में बुनकर के यहां सूत चला जाता था और फिर बिनकर आ जाता था, यह दूसरी बात है कि वह मुंशी जी के काम आ जाया करता था। यह थी जोब-ओरिएंटेड एजुकेशन। ये भूल गए गांधी जी को, ये भूल गए डा० जाकिर हुसैन को, ये भूल गए जोब-ओरिएन्टेड एजुकेशन को। सर, आप चेयर पर बैठे हुए हैं, यह मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा। तो इस दल के लोग, कांग्रेस के लोग भूल गए महात्मा गांधी को और केवल उनका नाम याद कर लेते हैं कसम खाने के लिए। जोब-ओरिएण्टेड एजुकेशन होनी चाहिए।

फिर, मान्यवर, वन फेमिलि वन जोब, एक परिवार, एक काम। परिवार की परिभाषा पति, पत्नि और दो नाबालिग बच्चो। एक परिवार एक काम। मगर, एक कांग्रेस का आदमी दस-दस जोब लिए बैठा है। उसके पास बस का परमिट है, दुकान है, सीमेंट की एजेंसी है, लोहे की एजेंसी है, कोयले की एजेंसी है, घर में एडवोकेट भी है, एम०पी० भी है, एक डाक्टर भी है। एक-एक घर में बीस-बीस जोब लिए हुए हैं। जब तक इनका डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होगा, आप चांस दीजिए पति, पत्नि, दो नाबालिग बच्चे एक परिवार में हैं उनके पास चार काम हैं तो उनसे कहिए कि एक काम छांट लीजिए, आप कौनसा रखना चाहते हैं और तीन काम वापस कर दीजिए ताकि दूसरों को मौका मिले....**(व्यवधान)**....

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): आप बी०जे०पी० से करवा दीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: माफ कीजिए।....**(व्यवधान)**.... सुनिए, अगली बार जब दिल्ली में आएगी हमारी सरकार तब करेंगे। अब थोड़े से दिन की बात है। देखिए, अब आप चिन्ता न कीजिए। ....**(व्यवधान)**.... When you are winners we are runners . और रनर जो है, वह विनर होता है कभी-कभी। ....**(व्यवधान)**....

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं।....

Are you suggesting in your recommendation that if the husband has a job the wife should not get a job, if the father has a job the son should not get a job or vice versa?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I am not saying so. I have already stated the definition of "family".

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Does it not amount to a discrimination against individuals?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Not at all, Sir पति पत्नी और दो नाबालिग बच्चे तो जोब करेंगे नहीं और पति-पत्नी जो हैं....

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): जो पति है वह व्यक्ति भी है और जो पत्नी है वह व्यक्ति भी है। ....**(व्यवधान)**....

श्री संघ प्रिय गौतम: मान्यवर, मैं आपसे यह कह रहा हूं...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): मैं केवल स्पष्टीकरण मांग रहा हूं कि आपका विचार क्या है?

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं, सर, आपसे केवल यह कह रहा हूं, चाहे मेरी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के इंटरेस्ट में बात कर रहा हूं। मैंने कब कहा कि मैं पार्टी से बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं. **(व्यवधान)**... देखिए, आप इसकी सीरियसनेस को खत्म मत कीजिए। मैं यह कह रहा हूं कि यदि आप वास्तव में गंभीर हैं कि लोगों को काम मिलना चाहिए तो काम तब मिलेगा जब काम का बंटवारा होगा। वन फेमिली वन जॉब, मेरा यह कहना है। मैंने पहले ही कह दिया है...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): जब काम का बढ़ावा होगा।

श्री संघ प्रिय गौतम: मैंने काम का बढ़ावा भी बता दिया कि खेती को बढ़ाइए, कुटीर उद्योग-धंधों को बढ़ाइये। मैंने वह भी कह दिया कि काम बढ़ाइए और काम का बंटवारा कीजिए। ये सुझाव है। इसके अलावा आपने कहा कि आबादी पर रोक लगाइए। यूनिफार्म सिविल कोड है, चीन में कानून लगा हुआ है, परिवार को आप सीमित कर दीजिए। पहले तो था—दो या तीन बच्चे, अब हम दो बच्चे कहते है, आप एक बच्चे की

कह**श्री संघ प्रिय गौतम:** मैं दरख्वास्त करूंगा उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कोटा, लाइसैंस, परमिट, एजेंसी, दुकान, मकान, फ्लेट, प्लाट नहीं मिलेगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ चन्द्रेश पी॰ ठाकुर): प्रजातंत्र का क्या होगा?

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति जी, प्रजातंत्र कभी खत्म नहीं होगा।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती है।

I should not be interrupted. I have got every right to have my say. I have got every right to express my own views. The Chair may not agree. The House may not agree.

मैं ठेकेदारी नहीं ले रहा मध्य प्रदेश की।

I am talking as an Indian citizen.

तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि प्रजातंत्र के माने क्या हैं? प्रजातंत्र के माने हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपने प्रोफेशन को एक्सरसाइज़ करने का, अपने मत को एक्सरसाइज़ करने का अधिकार हो, ये प्रजातंत्र के माने हैं। क्या प्रजातंत्र के माने ये हैं कि दूसरे के अधिकार का हनन् करो? क्या प्रजातंत्र के माने ये हैं कि दूसरों को भूखा मार दो? क्या प्रजातंत्र के माने ये हैं कि मैं और मेरा भाई—हज्जाम, खलीफा, नाई सारी सम्पत्ति अपने घर में जमा कर लें? ये प्रजातंत्र के माने नहीं हैं। प्रजातंत्र के माने ये नहीं है कि एक ही परिवार के प्रधान मंत्री बनेंगे। ये प्रजातंत्र के माने नहीं हैं। मैं जानता हूं कि प्रजातंत्र के माने क्या हैं। हम आज की बात की गंभीरता को देखें कि इतना महान देश भौगोलिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से, मौसम की दृष्टि से, लेकिन आज हम क्यों इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं? सही बात तो यह है कि हम कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं या करते उल्टा है। मैं एक, दो और मिसालें देकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मकान कैसे लोगों को मिलेंगे? आपका डी॰डी॰ए॰ है। डी॰डी॰ए॰ जहां भी फ्लैट देता है, वहां प्लाट भी देता है। प्लाट किसको देता है? अंसल एण्ड कम्पनी को। अंसल अपार्टमेंट बनते हैं...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ चन्द्रेश पी॰ ठाकुर): डी॰डी॰ए॰ अन्सल को फ्लैट नहीं देता है।

श्री संघ प्रिय गौतम: मैंने अन्सल अपार्टमेंट देखे हैं ...**(व्यवधान)**...

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय: कॉमन नॉलेज का ज्ञान इनको.....

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ चन्द्रेश पी॰ ठाकुर): पाण्डेय जी, इनको बोलने दीजिए।

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय: गलत मत बोला करें।

श्री संघ प्रिय गौतम: आप सही कभी नहीं बोले हैं, मैं दो साल से देख रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ चन्द्रेश पी॰ ठाकुर): व्यक्तिगत आक्षेप मत कीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: इनको भी तो रोकिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ चन्द्रेश पी॰ ठाकुर): उनको भी रोका है।

श्री संघ प्रिय गौतम: अन्सल भवन, यहां पर चार दिखा दूं आपको और अंसल अपार्टमेंट, इसके अलावा गाजियाबाद में अंसल अपार्टमेंट। मैं मिसाल दे रहा हूं। चाहे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, चाहे दिल्ली विकास प्राधिकरण हो, ये बड़े-बड़े लोगों को अपार्टमेंट बनाने के लिए जमीन देते हैं। वे अपार्टमेंट बनाते हैं। एक-एक अपार्टमेंट के एक-एक फ्लैट की कीमत चार-पांच लाख रुपए है। क्या रह लेगा गरीब आदमी इसमें? क्या मिल जाएगा मकान मजदूर और गरीब को? मेरे कहने का मतलब यह है, मेरा सुझाव यह है कि या तो विकास प्राधिकरण जनता फ्लैट, जिस तरह से कालका जी में बनाए थे, खुद बनाएं... मेरे कहने का मतलब यह है मेरा सुझाव यह है कि या तो विकास प्राधिकरण ने जनता फ्लैट जिस तरह से कालका जी में बनाये थे, खुद बनाये और बनाकर के उनको दे, जिनके पास मकान नहीं हैं और या जो आपकी इंदिरा आवास योजना है, आप उस आवास योजना के तहत प्रत्येक ग्राम सभा से न्याय पंचायत से स्थानीय निकाय से आवश्यक रूप से उन लोगों के लिये मकान बनवायें जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं। अभी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आगरा में एक कांड हुआ था—पनवारी कांड। वहां राजीव गांधी जी भी गये थे और उनके साथ यह लोग भी गये थे। वहां घोषणा करके आये कि पनवारी कांड के जितने भी विस्थापित हैं, सबको इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनायेंगे। एक भी मकान बनाकर के नहीं दिया। झूठी घोषणा और झूठे आश्वासन, यह पब्लिक के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, यह वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसलिये मान्यवर, मेरा जो सुझाव है कि मकान बनाकर के देने चाहिएं, इसी तरह से सरकार सस्ते गल्ले और कपड़े की दुकानों के माध्यम से जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है उनको डिस्ट्रिब्यूट कराना चाहिए। अगर स्टेट के हाथ में डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उस पर अपना वाच रखना चाहिए। जब और बातों के लिए स्टेट

(श्री संघ प्रिय गौतम)

गवर्नमेंट को वार्निंग दे सकते हैं तो डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में फेल्योर के कारण भी स्टेट गवर्नमेंट को वार्निंग दी जा सकती है, चाहे वह बी०जे०पी० की गवर्नमेंट हो, चाहे वह कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम होना चाहिए इस तरह से हम लोगों को कुछ दे पायेंगे।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय श्री पचौरी जी के इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भंवर लाल पंवार (राजस्थान)*:

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): This will not go on record... *(interruptions)*...

यह आपके क्लेरीफिकेशन का नहीं है।... **(व्यवधान)**...देखिए, सुनिए ...**(व्यवधान)**...

Mr. Mathur, you are not obliged to respond ...*(interruptions)*...

यह पर्सनल रिमार्क्स जो चीफ मिनिस्टर के लिये हैं, आप उसके उत्तरदायी नहीं हैं।

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, माननीय पचौरी जी ने जो विधेयक रखा है, यह राष्ट्र की जो सबसे प्रमुख और भयंकर और विराट समस्या है, उसके लिए उन्होंने इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। सचमुच में राष्ट्र के सामने बेरोजगारी की, मकान की और सबको भोजन मिल सके, कामकाज मिल सके, यह उन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। यह बात सही भी है कि बेरोजगारी दिन-पर-दिन बढ़ती चली जा रही है और मेरी जानकारी में है कि 30 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार वर्ग में आते हैं और इनमें से जो तीन करोड़ 60 लाख लोग हैं वह इण्डस्ट्रीज और अन्य सर्विसिज में खप जाते हैं। सब को रोजगार देने के लिए कम से कम 20 करोड़ रोजगारों का सृजन करना आवश्यक हो जायेगा। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सदी के मोड़ तक लगभग 70 फीसदी भारतीय 35 वर्ष की कम की उम्र के होंगे। तो राष्ट्र एक युवक राष्ट्र होगा और बेरोजगार नौजवानों की भीड़ भी इकट्ठी हो जायेगी, जो बड़ी भारी चुनौती होगी और प्रतिदिन 50-60 लाख युवक रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराने हर साल आते हैं और केवल तीन लाख लोग रोजगार पाते हैं। यह बड़ी विकट समस्या है और यह राष्ट्र के सामने है। अब तो बेरोजगारी की समस्या इंग्लैंड और अमेरिका में भी हो गयी है। अभी हम कल अखबार के अंदर पढ़ रहे थे कि जापान में भी बेरोजगारी की समस्या सामने आने वाली है। जापान में भी, हम अभी कल पढ़ रहे थे अखबार में कि वहां भी बेरोजगारी की समस्या सामने आने वाली है। क्योंकि वहां रिसैशन बड़े पैमाने पर आ रहा है और दुनिया के अंदर जो उनका बैंकिंग सिस्टम था, इंडस्ट्री सिस्टम था, वह लड़खड़ाने लगा है। तो यह मत समझिए कि सिर्फ हिंदुस्तान के सामने यह समस्या है, सबके सामने है और एडवांस्ड कंट्रीज़ के सामने भी आने वाली है। इस बात के संकेत सारी जगहों से आ रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इस चुनौती को बड़ी गंभीरता से लिया है और अब तक की जितनी योजनाएं पेश की गई हैं, उन सब में इस बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए और इस समस्या से जूझने के लिए वक्त-वक्त पर अनेक प्रकार के उपाय किए गए हैं और नौजवानों को काम दिलाने की व्यवस्था की गई है।

महोदय, मैं सारी योजनाओं का तो बखान नहीं करना चाहता लेकिन मिसाल के तौर पर मैं जवाहर रोजगार योजना का जिक्र करना चाहता हूं। इस योजना में 1991-92 के लिए 2100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और उसके माध्यम से 10 करोड़ श्रमिक दिवसों का काम पैदा किया जाएगा और इसमें से 30 फीसदी काम महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। मैंने जैसा कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी इस चुनौती को हलकेपन से नहीं लिया बल्कि अपनी योजनाओं के जरिए से सरकार बराबर इस चुनौती से जूझती रही है और मुझे खुशी है कि इस वक्त भी जो समस्या है बेरोजगारी की, उसके लिए हमारी मौजूदा सरकार बड़ी सचेत है।

महोदय, पिछली सरकारों ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ राईट टु वर्क का नारा दिया। हमको बड़ा अच्छा लगा। लोग बड़े खुश हुए। बड़ा लुभावना नारा था कि संविधान में संशोधन कर दो तो रोजगार मिल जाएगा। नारा लगाना तो बड़ा आसान है। ऐसा नारा खोज लेना, तलाश कर लेना जिससे लोग मोहित हो जाएं और नारा लगाने वाले सोचें कि इस नारे से हमारी सरकार बनने वाली है तो बात ही क्या थी इसी सदन में सवाल आया तो मैंने पूछा था कि जो आप राईट टु वर्क करना चाहते हैं, इसकी जो दूसरी चीजें हैं वह कहां से रोजगार पैदा करेंगी और उसके लिए कितनी योजनाएं आप बनाएंगे, कितने उद्योग चलाएंगे, कितने कारखाने लगाएंगे, कितने दफ्तर बनाएंगे। आखिर इतनी बड़ी बेरोजगारों की जो फौज है उसको आप कहां से काम देंगे? यह नारा भी लगाया गया कि इनको बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने गंभीरता से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए और नौजवानों को रोजगार देने के लिए निरंतर काम किया है, प्रयत्न किया है लेकिन जब दूसरी सरकारें आईं तो वे नारा लगाकर चली गईं। किसी ने कहा राईट टु वर्क। किसी ने कहा इनको बेरोजगारी भत्ता दो और इसके लिए एक साल में 9 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इस रुपये का कहां से प्रबंध होगा?

तो मैं कहना चाहता हूं कि समस्या बड़ी विकट है

*Not recorded

लेकिन समस्या का हल जो होगा वह सिर्फ कोई जादू की छड़ी घुमा देने से नहीं होगा बल्कि हमारी सरकार की जो आठवीं पंचवर्षीय योजना आने वाली है उसके अंदर उद्योग-धंधे लगाए जाएंगे स्माल स्केल सैक्टर के अंदर, स्वरोजगार कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा, बुनकरों का काम या जितने भी देहात के कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, अपने हाथ से जो पुश्तैनी काम करते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए इन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी यह समस्या किसी जादू की छड़ी से समाप्त नहीं हो सकती बल्कि इसके लिए जो हमारी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, गांव से लेकर शहर तक, उनका सही ढंग से कार्यान्वयन करना पड़ेगा। आजकल तो लोग बैंकों से लोन भी लेते हैं, इससे बहुत से नौजवानों को अपना रोजगार खड़ा करने का अवसर मिला है लेकिन ये सारी चीजें तभी सफल हो पाती हैं जब कि इनका कार्यान्वयन सही हो। बेरोजगारी के बारे में जैसे मैंने निवेदन किया कांग्रेस पार्टी के हर मैनिफैस्टो में इस बात का उल्लेख है। चाहे किसी भी योजना को देखिए, कांग्रेस सरकार इस बात को कभी भूली नहीं हैं और तुली हुई है इस समस्या के हल के लिए। राव जी ने वीकर सेक्सशन्स की ओर विशेष ध्यान देकर उनको मजबूत भी किया है। आज हमारे सामने मकानों की कमी की समस्या है। मकानों की बड़ी विकट समस्या है। देहात के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं हैं। झोपड़ें नहीं हैं। बंबई के अंदर लाखों की तादाद में लोग फुटपाथ पर सोते हैं। दिल्ली शहर में भी अब फुटपाथ पर सोने का रिवाज बढ़ रहा है। झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ रही हैं। तो मकान दिलाने की जो समस्या है वह अपनी जगह है। लेकिन पिछले दिनों गरीब हरीजनों को दिल्ली में जो घर दिए गए वह इतने छोटे और कमजोर बनाए गए कि उनका कोई काम नहीं चल पाया। न वह रह पाए, न ढंग से बन पाए। उनकी प्रापर देखभाल भी नहीं की गई। बनाते समय इस बात का ख्याल नहीं रखा गया। आखिर कहां ये लोग रहेंगे, कहां इनके बच्चे सोयेंगे। पुश्तैनी काम करने वाले लोगों को जो स्थान दिया गया है। वह स्थान ही ठीक नहीं हो पाया है। नई स्कीम के मातहत हमारी सरकार की जो नीति है उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मकान बनाते वक्त जो जमीन उनको दी जा रही है या जिनको मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी है उनको देखना चाहिए कि यह जमीन ठीक है या नहीं। वह शहर या गांव के बाहर न हो कि उनके आने जाने के लिए रास्ता भी न हो। यह भी नहीं होना चाहिए कि वह भूमि छोल, तालाब या गंदी नालियों के पास कोई प्लाट खाली पड़ा हो वहां बनाए जाएं। जहां रहने के लिए स्वास्थ्यवर्धक स्थान हो वहां उनके लिए मकान बनाए जाएं, इस बात का हमारी योजनाओं में ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।

श्रीमान, मकानों की समस्या के सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं कि देहातों के अंदर भी मकानों की समस्या गंभीर है। लोगों के पास कहीं मकान नहीं है, झोपड़ पट्टी होती है। खेत में मजदूरी करते हैं, लेकिन इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। गांव के पास जमीन जो निकली, उसका उनको कब्जा नहीं मिल पाता है। जो गांव के मजबूत आदमी है, धड़ेबंद आदमी होते हैं उनसे बचे होने के बावजूद भी वीकर सेक्शंस के लोगों को जमीन नहीं दी जाती हैं। वह देना भी नहीं चाहते हैं। आज करीब 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं हैं। अभी भी बेचारे देहात के अंदर ऐसे मजदूर रहते हैं जिनको साल भर में सिर्फ सौ दिन काम करने के लिए मिलता है। ऐसे आदमियों के लिए अपना घर निर्माण करना आसान नहीं है। इसलिए सरकार को विशेष तौर पर अपनी योजनाओं के जरिए ऐसे लोगों के लिए मकान बनाने का काम हाथ में लेना चाहिए। अच्छी जमीन लेकर उन पर मकान बनाने का प्रयास करना चाहिए।

इसलिए जैसा मैंने कहा यह बिल बहुत अच्छा है और राष्ट्र की समस्या से ताल्लुक रखता है, रोजी-रोटी की समस्या से ताल्लुक रखता है। जहां तक रोटी का सवाल है, यह बड़ी खुशी की बात है कि अन्न के मामले में देश अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी आज पेट भरने के लिए अनाज तो सारे देश में मिल जाता है। किन्तु जिस तरह का खाना इंसान को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। आज भी देहात के अंदर, शहरों में बड़े दुबले पतले, कमजोर और बीमारी के शिकार बच्चे मिलते हैं। जो बैलेंस्ड डाइट, जो हैल्थ को सस्टेन और मेनटेन कर सके, वह नहीं मिल पाती है। बच्चों को स्कूलों में दूध और पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए स्कीमें सरकार ने चलाई लेकिन इसका अमली जामा ठीक से नहीं हो पाया। जो पैसा है इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। आदमी को जितने अन्न की आवश्यकता है इतना अन्न इसको नहीं मिल पाता। यह तभी संभव होगा जब मानव का जीवन स्तर ऊंचा होगा। यह ठीक है कि पर-कैपिटा इन्कम बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए। अच्छा खाना, बैलेंस डाइट, अच्छे फ्रूट, उसको मिलने चाहिऐं। यह अगर उसको मिलेगा तो परिवार भी मजबूत होगा। यह तभी संभव होगा जब आदमी के पास रोजगार होगा, देश के अंदर खुशहाली होगी और उनको अच्छा वेतन मिलेगा। उसके बिना इसको अच्छा भोजन नहीं मिल सकता। आज इतनी गरीबी है कि उनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता। जैसा हमारे एक भाई कह रहे थे कि हमारे पास खाली जमीन पड़ी हुई है जिसको खेती के काम में लानी चाहिए। जो भूमिहीन लोग हैं इनको वह जमीन दे दी जाए। उनको खेती का पूरा सामान, सिंचाई का साधन,

[चौधरी हरिसिंह]

खाद, बीज आदि उपलब्ध कराए जाये। वे गरीब आदमी इन चीजों को नहीं खरीद सकते इसलिए इनको इसके लिए रुपया उपलब्ध कराया जाए जिससे वह खरीद कर खेती कर सकें और तभी इस समस्या का हल निकल सकता है। वर्ना यह जो आंदोलन चलता है कि ज्यादा अन्न उगाओ, इससे काम नहीं चलने वाला है। जो हमारी पर-कैपिटा उपज है वह दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। हमारे यहां हरी सब्जियां भी नहीं मिलती। इसके साथ-साथ दाल भी पैदा की जाए। इन सब चीजों को बड़े पैमाने पर पैदा कराई जाए। तभी अन्न की समस्या, भोजन की समस्या हल होगी। इसके साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि अन्न की समस्या बड़ी विकट है इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री ईश दत्त यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश पचौरी जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है वह बहुत अच्छा है। जिन समस्याओं की ओर उनका इशारा है—रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान—अगर ये सब चीजें हल हो जाएं तो देश की सारी समस्या ही हल हो जाएगी। हमारे देश को आजाद हुए 45 वर्ष हो गये। 45 वर्ष के बाद भी न केवल सुरेश पचौरी बल्कि इस देश के सभी लोग इस तरह की समस्या की तरफ ध्यान दिला रहे हैं और इन सब चीजों की मांग कर रहे हैं। रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान—इसकी दूसरी पंक्ति है—मांग रहा है भूखा नंगा इंसान। इस देश में लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। 35 फीसदी लोग इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे है। गरीबी के रेखा के नीचे का मतलब है इतने व्यक्ति को एक भी वक्त भोजन नहीं मिल पाता है, कपड़ा नहीं मिल पाता है। मकान की बात तो दूर की बात है। ये चारों जो समस्याएं हैं—रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान इन सब का एक दूसरे से संबंध है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मेरे विद्वान मित्र सुरेश पचौरी जी ने जो आंकड़े रखे हैं वह सही हैं। इन सारी समस्याओं का एक दूसरे से संबंध हैं। मै अभी पिछले सप्ताह एक मैगजीन पढ़ रहा था। उसमें था कि बम्बई में 20 लाख आदमी सड़क पर सोते हैं। सोते ही नहीं हैं बल्कि बम्बई जैसे बड़े शहर में जो देश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है और जो संपत्ति के मामले में भी बड़ा है उस जैसे शहर में लोग सड़क पर पलते हैं। सड़क पर बच्चा पैदा

4.00 P.M. होता है, सड़क पर बड़ा होता है और सड़क पर ही मर जाता है। यह केवल बम्बई की समस्या नहीं है। इस तरह की समस्या दिल्ली की भी है, कलकत्ता की भी है और देश के अन्य बड़े शहरों की भी है। यह समस्या सिर्फ शहरों की ही नहीं हैं, गांवों की भी है। गांवों में पेड़ के नीचे बच्चा पैदा होता है, पेड़ के नीचे बड़ा होता है और पेड़ के ही नीचे मर जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं? आज 45 वर्ष की आजादी के बाद सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य की तरफ से इस तरह का विधेयक आया है। अभी सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। हमारी माननीय मंत्री जी यहां पर बैठी हुई हैं। इस बिल को वापस लेने के लिए वे सिफारिश करेंगी। लेकिन इन 45 वर्षों से यह समस्या ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। इसके लिए जिम्मेदार है हमारी सरकार और हमारी आर्थिक नीतियां। सरकार की गलत आर्थिक नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकार ने यह तय नहीं किया कि किस तरह से देश की गरीबी और बेकारी को दूर किया जा सकता है और किस तरह से इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। और किस तरह से देश को खुश हाल बनाया जा सकता है। सरकार ने कभी इस पर सोचा ही नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस देश को खुशहाल बनाना है और इस देश को तरक्की करनी है तो कृषि को प्राथमिकता देनी चाहिए। बेकारी की समस्या को हल करना है तो कृषि के बाद दूसरे नम्बर पर लघु उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बड़े उद्योगों के महात्मा जी विरोधी थे। लेकिन हमारी सरकार ने और इस देश की सरकार ने 45 साल के अंदर बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया। इस देश के अंदर तमाम हैवी इंडस्ट्रीज खोली। हैवी इंडस्ट्रीज से इस देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यह ठीक है कि हैवी इंडस्ट्रीज भी जरूरी है, लेकिन रोजी, रोटी और कपड़ा, हमारी ज्वलन्त समस्या है। इस देश की भूखे और नंगे इंसान की समस्या बड़े उद्योगों से हल नहीं हो सकती क्योंकि बड़े उद्योग-धंधे अनाज नहीं पैदा करते, कपड़ा नहीं पैदा करते और न ही लोहा पैदा करते हैं। दुनिया के अंदर और देश के अंदर जितनी भी संपत्ति है सारी संपत्ति पृथ्वी माता के गर्भ के अंदर से निकलती है। अनाज है, लोहा है, कोयला है, कपास है, ऊन है जो भेड़ से पैदा होता है और जानवरों के शरीर से मिलती है, वे तृण और पत्ते खाते हैं जो पृथ्वी पर पैदा होते हैं। इसलिए जितनी भी संपत्ति है वे सब पृथ्वी के गर्भ से निकलती है। कारखाने तो इनकी शक्ल बदलते हैं। कपास की शक्ल बदल कर कपड़ा बनता है, और लोहे की शक्ल बदल कर घड़ी, साइकल या मोटरकार बनती है। ये चीजें कारखाने के अंदर पैदा नहीं होती हैं। कारखाना इनकी शक्ल बदलता है। हमारे देश में समस्याओं का बरकरार रहने का कारण यह है कि हमारे देश में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। विदेशों से कर्जा लिया गया और बड़े कारखाने खड़े कर दिये गये। खेती को नेगलेक्ट कर दिया गया। खेती की उपेक्षा हुई। यही कारण है कि हमारे देश में रोजी, रोटी और कपड़े की समस्या हल नहीं हो पा रही है। 45 वर्षों के बाद इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज

विदेशों से गेहूं मंगाया जा रहा है। संसद में इसकी गूंज नहीं होती तो सरकार इस पर विचार भी नहीं करती। इतना बड़ा देश, कृषि प्रधान देश, हम लोगों को हय्या और शर्म भी नहीं है कि विदेशों से गेहूं मंगा रहे हैं। हमने कृषि पर ध्यान नहीं दिया। अगर हमने कृषि पर ध्यान दिया होता तो हमारी भोजन की समस्या हल हो गई होती और इसके साथ-साथ रोजी, रोटी और कपड़े की समस्या भी हल हो जाती । महात्मा गांधी ने कहा था कि बेकारी और गरीबी को दूर करने के लिए छोटे रोजगार और लघु उद्योगों के अलावा कोई अन्य इलाज नहीं है। क्योंकि महोदय, हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जमीन कोई रबड़ नहीं है कि उसको खींचकर जितने लोग बढ़े उन सब में बांट दिया जाये। नौकरियां इतनी हैं नहीं कि जितने लोग पढ़े-लिखे निकल रहे हैं उन सब को नौकरियां दे दी जायें। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने भी कहा था कि देश की बेकारी और गरीबी की समस्या को अगर हल करना है, पूंजीवाद को अगर इस देश के अंदर रोकना है, तो इसका केवल एक ही तरीका है कि लघु उद्योग, स्माल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाये ताकि देश में बेकारों को काम मिल सके और उनकी जीविका चल सके। कुछ लोगों के पास, टाटा और बिरला जैसे बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पास इससे देश का सारा पैसा इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन यहां साबुन भी बनायेंगे टाटा, जूता बनायेगा बाटा। सारा सामान वहीं बनायेंगे। इस देश के चंद पूंजीपति जो सामान छोटे-छोटे स्केल पर भी बन सकता है, जैसे साबुन बनाना, जूते बनाना, साइकिल और घड़ी बनाना, नमक बनाना, वे ये काम भी कर रहे हैं। आज दुनिया के जिन देशों ने तरक्की की है उन्होंने स्माल स्केल इंडस्ट्री पर सारा ध्यान लगाया और सरकारी खजाने से पैसा लगाकर बेरोजगार नौजवानों को सहायता दी, तभी उन देशों ने तरक्की की। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको देश के अंदर बेकारी की समस्या को हल करना है, गरीबी की समस्या को हल करना है, बेकारों को काम देना है तो इसके लिये स्माल स्केल इंडस्ट्री को प्राथमिकता देनी होगी। मैं यह नहीं कहता कि इस सरकार ने इसे प्राथमिकता देने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस सरकार ने आधे दिल से कोशिश की। जब देश के अंदर खेती के विकास की मांग उठी, जब देश के अंदर लघु उद्योगों की मांग उठी, हम सब लोगों ने, जो विपक्ष में बैठे हैं, सभी पार्टियों की ओर से जब सवाल उठा तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देश के अंदर बड़े कारखाने लगाने के बजाये इस तरफ थोड़ा सोचना शुरू किया, खेती की ओर सोचना शुरू किया, स्माल स्केल इंडस्ट्री, की ओर सोचना शुरू किया। लेकिन इन्होंने इसको आधे मन से किया और जो कुछ किया महोदय, मैं नहीं कहता कि इनकी नीयत खराब थी, इनकी नीयत में कोई कमी थी लेकिन नीचे के जो अधिकारी और कर्मचारी थे, जिनको योजनाओं को कार्यान्वित करना था इन लोगों ने इसे कार्यान्वित नहीं किया। इसी सदन में मान्यवर, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, इसी स्थान से स्वर्गीय राजीव गांधी जब वे इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था—मुझे याद है मान्यवर और सभी लोगों को याद होगा—उन्होंने कहा था कि यहां सरकारी कोष, सरकारी खजाने से जो एक रुपया हम भेजते है गांवों को, तो उसमें से 85 पैसे अधिकारी और कर्मचारी खा जाते हैं और केवल 15 पैसे गांवों तक पहुंचते है। मुझे याद है राजीव गांधी ने इसी स्थान पर खड़े होकर यह कहा था। महोदय, आज भी लघु उद्योगों की वही हालत है। इंडस्ट्री आफिस खोल दिये गये हैं, उद्योग कार्यालय खोल दिये गये हैं, योजनायें बना दी गई हैं लेकिन जो जरूरतमंद आदमी हैं, जो नौजवान हैं, जो रोजी-रोटी कमाना चाहते हैं, प्रथम तो उनको पैसा मिल ही नहीं पाता और अगर सैंक्शन होता भी है तो अगर 20 लाख रुपये हैं तो पांच लाख या सात लाख रुपया उसको भ्रष्टाचार में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को देना पड़ता है। थोड़ा पैसा मिलता है और ब्याज रेट भी इतना हाई कर दिया गया है जिससे जो रोजगार करने वाले हैं, जो दुकानदारी करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उन पर ऋण बढ़ता ही चला जाता है। नतीजा यह होता है कि लगभग सारी की सारी सरकारी योजनायें विफल हो गई हैं।

मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं। देश के पूंजीपति घराने जो 20-22 हैं, ये लोग बहुत चालाक हैं। सरकार ने घोषणा की कि छोटे उद्योग धंधों पर बने हुए सामान पर हम सेल टैक्स कम करेंगे, इनकम टैक्स कम करेंगे, उनसे कम पैसा लेंगे, ऐसा सरकार ने कहा। इस पर इन पूंजीपति लोगों ने छोटे उद्योगों को भी अपने हाथ में ले लिया, फर्जी नामों से और इसका नतीजा यह हुआ कि छोटा आदमी जो सरकार से कर्जा लेकर छोटे उद्योग धंधे चला रहा था, आज वह असफल हो गया है, आज वह बेकार हो गया है और सरकार के कर्ज की अदायगी वह नहीं कर पा रहा है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि देश में बेकारी की समस्या को अगर खत्म करना है, गरीबी की समस्या को अगर खत्म करना है तो छोटे उद्योग धंधों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। मान्यवर, देश के अंदर बहुत सी जमीन बेकार है, ऊसर है, परती है, बंजर है। इसीलिये जो जमीन बेकार पड़ी हुई है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। लेकिन सरकार ने उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये, उस जमीन को उर्वरक बनाने के लिये, उस जमीन पर छोटे छोटे उद्योग धंधे कायम करने के लिये सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। महोदय, हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव वहां के मुख्य मंत्री थे। उन्होंने वहां पर भूमि सेना बनाई थी। उस भूमि सेना में ऐसे नौजवान लोगों को

[श्री ईश दत्त यादव]

भर्ती किया गया था जो ऊसर, परती और बंजर जमीन को समतल कर सकें और उसको कृषि योग्य या ऐसा बनायें ताकि उन पर छोटे उद्योग धंधे लग सकें। ऐसी उनकी योजना थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में पूंजीपतियों की सरकार आ गई है। उन्होंने सारी की सारी योजना जो गरीबों के लिये बनी थी, किसानों के लिये बनी थी, उसको ड्राप कर दिया, सारी योजना खत्म कर दी। मैं सुझाव दे रहा था अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपनी सरकार को कि पूरे देश के अंदर जो परती और बंजर जमीन है, जो बेकार जमीन है उस जमीन को कृषि योय बनाइये। इससे बेरोजगार लोगों को काम मिल जायेगा। मान्यवर, अगर रोज़ी मिल जायेगी तो रोटी की समस्या हल हो जायेगी, कपड़े की समस्या हल हो जायेगी और मकान की समस्या भी हल हो जायेगी। मान्यवर, अपने देश में लोगों के पास जमीन नहीं है मकान बनाने के लिये। लेकिन उनको जो पैसा मिलता है उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है, दवा का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। मान्यवर, इस देश में जमीन सोने की तरह महंगी हो गयी है तो ऐसी हालत में कैसे वह जमीन खरीद सकता है? इसीलिये सरकार को चाहिये कि गरीब लोगों के लिये मकान बनवाने के लिये एक अध्ययन किया जाये, इसका सर्वे कराया जाये और जो नीडी पर्सन्स हैं, जिनको आवश्यकता है मकान की, जिनके पास जमीन नहीं है मकान बनाने के लिये, उनको सरकार जमीन उपलब्ध कराये। में यह भी कह रहा हूं कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया था और कांग्रेस सरकार ने इंदिरा आवास योजना चलाई थी। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे सम्मानित सदस्य माननीय डा० रत्नाकर पाण्डेय जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं, धरती से जुड़े हैं, वे मेरी बात का समर्थन करेंगे कि इंदिरा आवास योजना के नाम पर जो पैसा लगाया गया उस सारे पैसे का दुरुपयोग हुआ और सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला गया। कहीं-कहीं कुछ कालोनियां बनीं, छोटे छोटे मकान बने और लोगों को आवंटित भी किये गये लेकिन एक साल के अंदर ही वह मकान गिर गये और सरकार के पैसे का दुरुपयोग हुआ। इसीलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मकान की समस्या सरकार हो हल करनी है तो सरकार को इस पर कड़ाई करनी पड़ेगी। जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उनको मकान के लिये भूमि आबंटित की जाये।

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं देख रहा हूं कि घंटी की तरफ आपकी उंगलियां जा रही हैं। मैं निवेदन कर कहा था कि मकान बने भी तो कैसे? अगर सरकार ने थोड़ी जमीन दे भी दी तो इसमें सरकार की क्या पालिसी होगी? मान्यवर, आज सरकार ने लोहा महंगा कर दिया, सीमेंट महंगा कर दिया, ईंटों के दाम कोयला महंगा होने से बढ़ गये, बेतहाशा बढ़ गये, तो फिर मकान कैसे बनेंगे? मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर गंभीरता से सोचे और जो बेकार आदमी है, जो गरीब आदमी हैं, जिनकी आमदनी बहुत थोड़ी है, जो पेड़ के नीचे रहते हैं, जो सड़क पर रहते हैं, जो नंगे जमीन पर सोते हैं, ऐसे लोगों के रहने के लिये मकान का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब समस्याओं का कोई हमको हल नहीं आता। मान्यवर, मैं अपनी आखिरी बात कह रहा हूं। मान्यवर, इन समस्याओं का कोई हल नजर नहीं आता क्योंकि सरकार ने अब विदेशी लोगों को आमंत्रण दे दिया है, न्योता दे दिया है कि आप आकर हमारे देश में उद्योग धंधे लगाओ। बड़े उद्योग धंधे तो यों ही आदमी को बेकार करते हैं, सौ आदमियों का काम मशीन पर एक आदमी करता है। अब विदेशी लोग देश के अंदर बड़े उद्योग धंधे लगाएंगे तो छोटे उद्योग धंधे मर जायेंगे। जो बेकार आदमी है उसको काम नहीं मिल सकेगा। इसलिए सरकार की आर्थिक नीति, सरकार की औद्योगिक नीति और 45 सालों के अंदर सरकार की पूंजीपरस्त नीति ने देश के अंदर लोगों को नंगा और भूखा रखा है तथा रोज़ी, रोटी और मकान की समस्या आज तक हल नहीं हो सकी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सुरेश पचौरी जी, अपने मित्र को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस सरकार को आगाह करना चाहूंगा कि आपको बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, कुछ चेतावनी देने के बाद मौका मिला है, अब से संभलिये। अब इस देश के भूखे नंगे नौजवान के लिये रोज़ी रोटी, कपड़े और मकान की व्यवस्था करिए वरना सरकार को जनता फिर माफ नहीं करने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूं। धन्यवाद।

[The Vice-Chairman (Dr. Nagen Saikia) in the Chair]

'SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Mr. Vice-Chairman Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to participate on The Rozi, Roti, Kapda aur Makan (Citizens Welfare) Bill, 1991 brought by my colleague Shri Suresh Pachouri in this august House. I would like to speak in Oriya.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Because I also wanted to hear your Oriya.

SHRIMATI MIRA DAS: Mr. Vice-Chairman Sir, actually this bill was long over due. Every honourable Member is

*English Translation of the original speech delivered in Oriya.

aware of the problems of the commonman, raised by this bill by Shri Pachouri. In my opinion there is no need to debate the issue. What is required is to take some effective steps to provide the basic necessities of life like food, clothing and shelter to the people. This is exactly what is envisaged in this bill. Mr. Vice-Chairman Sir, some of us take pride in Hinduism as religion. I would like to refer to Swami Vivekananda, one of the greatest exponents of Hinduism, who once said that if a dog dies of starvation then my religion should be held responsible for its death. But now unfortunately thousands of people of our country are suffering due to the lake of proper food, clothing and shelter. The responsibility is fixed on nobody for the misery of the people. Thousands of people are dying of starvation in our country.

Mr. Vice-Chairman Sir, we have achieved nothing after forty five years of independence of our country. We have failed to provide food, clothing and shelter to the people. There can not be a bigger mockery of our democracy than this. The people of India have lost faith in democracy. They no longer believe in the false promises of the politicians. There was a time when people accepted the leaders of the country as their ideals. People preferred to follow the foot steps of the politicians in the society. But now a perceptible change has come over in the attitude of the people towards the politicians. I would only blame ourselves for this situation. I do not want to blame the Nehru family or any other particular politician for this change in the attitutde of the people. Only those leaders who felt the pulse of Indians should have decided the destiny of India. But unfortunately that could not happen. The commonman is suffering for the mistakes of his leaders.

Mr. Vice-Chairman Sir, India is an agricultural country. But unfortunately adequate attention is not being given to agriculture. The hon'ble Agriculture Minister shifts his responsibility by saying that agriculture is a state subject. I want to ask the hon'ble Minister as to why there is a Krishi Bhawan in Delhi? Why the government is maintaining so many employees of Krishi Bhawan? Agricultural policy is being formulated in Delhi. In my opinion the Education Policy and Industrial Policy should also be formulated by state governments. If we had utilised the mineral, water and forest resources available in the country properly there would not have been the necessity of debating on this bill today. Mr. Vice-Chairman Sir, everybody loves to dream. But unfortunately our first Prime Minister, (with all excuse to Dr. Ratnakar Pandey) was a dreamer of dreams. He lived far away from the realities of Indian life during the post-independence era. Nehru failed to appreciate the needs of Indians. During his time his policies were highly appreciated in the same way as we are appreciating the new economic and industrial policy of the present government. We are now praising the policies of Dr. Man Mohan Singh, there by going away from Nehruvian Policies. Again after some years we will start finding fault with the policies of Dr. Man Mohan Singh.

Mr. Vice-Chairman Sir, all is hot lost. We have still enough resources to provide employment opportunity to our people. We should try to utilise our petential to the maximum extent. Our problem of Rozi, Roti, Kapda and Makan will not be solved by the Multinationals, whom we are inviting to our country. We have to be self dependent. While giving maximum emphasis on agriculture we should also invest substantially on opening heavy industries in the country. We should try to make best use of the available resources to provide maximum employment opportunity to our people. I am convinced of the fact that borrowings, from I.M.F. and World Bank will never be a panacia for the evils which have gone deep into our socio-economic fabric. More and more borrowings from international financial institutions will force us to pay more and more interest to them. The next generation will be burdoned with the interest of the huge loans we are getting now from I.M.F. and World Bank. I am not against making loan, but what is required is the brain and commitment to utilise the funds properly. But unfortunately I Find total lack of social commitment on the Part of the politicians of our country. Today the politicians are the most hated section in the society. Corrupt politicians are living

[Shrimati Mira Das]

a lavish life. This leads to serious heart-burning.

Mr. Vice-Chairman, Sir I could not get a chance to participate in the General Budget discussion. I wanted to ask a pointed question to the Finance Minister. I wanted to ask who is going to be held responsible in future for his acts of ommission and commission as a Finance Minister. No body is now answerable for the acts of ommission and commission of Nehru, or Mrs. Gandhi or Shri Rajiv Gandhi. The public memory is very short. We have almost forgotton Gandhi. There is a saying in Oriya language.

"Memory is not to be forsaken, Forgetting it would have brought relief."

It would have been better had we forgotton Gandhi totally, But shamelessly we revive his memory, his political philosophy, his economic philosophy only at the moment of crisis. Had we followed the Gandhian economy right from the begining the need to debate on this bill today would not have arisen at all. There is no substitute for Gandhi's philosophy of self-dependence. He strongly believed and advocated on his philophy. He very well knew the Indian conditions. Gandhiji always advocated the promotion of cottage industry in the country. He himself used Khadar cloth. I also spin and use Khadar cloth. Gandhiji knew that the real India lies in the village. Opportunities should be provided to the villagers for their gainful self-employment. But today I am surprised to see that the people from the villages are rushing to the cities. Cities like Calcutta and Delhi have become over-populated. The population of these cities one increasing by leaps and bounds. Neither you can get fresh air nor move freely on the over-crowded streets of Calcutta. The population of Delhi has gone upto 80 lakhs over the years. As there is no employment opportunity at all in the villages the people are coming to urban areas in large number. This leads to various socio-economic tension in urban areas. It will certainly disturb the balance.

Mr. Vice-Chairman Sir, population problem is the biggest problem the country is facing today. Long before our planners should have taken adequate step to control population. No. I.M.F. loan or Multinationals is going to drive away poverty from our country. In my opinion the planners and leaders of our country should give the first priority to population control. If we do not check this increasing population, the Green Revolution will automatically be rendered ineffective. It is high time we know the priorities and do something worthwhile for them. Sometime back one of our leaders was talking of taking country to 21st Century. There is no use taking the country to 21st century without carrying the people of the country as a whole. Without trying to be self-reliant we started importing even ordinary items like needle from outside.

Mr. Vice-Chairman Sir, before concluding I would like to refer to the unrest browing among the youths in different parts of the country. In this context the bill of Shri Pachouri is all the more relevant. The unemployed youths have taken arms in states like Assam and the Punjab. Idle mind is Devil's workshop. The unemployed youths are easily misguided by the vested interest in the society. The problem has got to be deeply analysed. I am sure the youths are not hankering after political power. What they need is Rozi, Roti, Kapda and Makan. The government has failed in proving these opportunities to the youths of our country. That is why the Chief Minister of Orissa, Shri Biju Patnayak, whose patriotism and love for the country is unquestionable has also raised the voice of secession. I do not find any reason to find fault with the Chief Minister who raised the voice of secession, when 80% of the people of his state live below poverty line. In spite of the fact that Orissa is rich in forest and mineral resources there is acute poverty in the State. The states one not getting adequate funds to utilise their resources. Maximum opportunies should be given to the states to contribute to the process of nation-building. It is high time we take steps in solving this problem otherwise I caution this voice of secession will be raised from all parts of the country.

I once again thank you Mr. Vice-Chairman for giving me this opportunity to sp[e,ot] un the bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Thank you, Mrs. Das. Dr. Ratnakar pandey. I think you will leave some time for your friend, Mishraji also.

DR. RATNAKAR PANDEY: I Will continue the next time also.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): No I shall give you fifteen minutes.

1 also allow you to speak for fifteen minutes.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: पन्द्रह मिनट में क्या बोलूंगा? रोजी भी नहीं होगा। फिर, यह रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Okay. You take twenty minutes. Then you leave some time for Mishraji.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: सर, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपका उस दिन गीत हम लोगों ने सुना.... **(व्यवधान)**...और आपकी कविता, आपका पत्र मिला हम लोगों को। और शायद अनेक बार मुझे आपके सभापतित्व में, मुझे ही नहीं इस सदन के माननीय सदस्यों को भी, बोलने का मौका मिला है और आप ज्ञान के अनुपम भंडार हैं, विद्वता और पांडित्य की साक्षात प्रतिभूति हैं और सबसे बढ़कर मानवीय हित-चिंतन में दलीय आधार से ऊपर उठकर आप इस सदन में जब भी उस महान चेयर पर बैठे हैं, आपने इसकी मर्यादा को द्विगुणता किया है, आभामंडित किया है और इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। मैं आपकी अध्यक्षता में, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, शायद अंतिम भाषण दे रहा हूं और मीरा जी चली गई...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Thank you for your words, but now come to the Rozi, Roti, Kapda Aur Makan Bill.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में शीघ्र ही फिर यह सदन आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होगा और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप शीघ्र ही पुनः इस सदन में लौटकर आएं।

आज मीरा जी का भाषण मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। जनतंत्र में मीरा दास जी हैं और भक्तिकाल में मीरा जी हुई, जिन्होंने कहा कि:

"मीरा के प्रभु गिरिधर नागर"

और जिनहोंने कहा कि जो दर्द होता है इंसान का:—

"मीरा की तब दर्द मिटेगी, पीर सांवरिया होय"

यह कहा था मीरा ने और मीरा दास जी ने जिस आत्मक-विभोरता के भाव से भरकर के रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान...**(व्यवधान)**...

शारदा महन्ती (उड़ीसा): पाण्डेय जी रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में बोल रहे हैं या मीरा दास जी के बारे में बोल रहे हैं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: वह महात्मा गांधी को, जवाहर लाल नेहरू को और 43 वर्षों के कार्यकलापों को याद किया है, वह स्मरणीय हैं, लेकिन उनकी इस राय से मैं सहमत नहीं हूं कि जवाहर लाल नेहरू ने केवल औद्योगिकरण किया देश का और इस देश की गरीब और अभावग्रस्त जनता के लिए कुछ नहीं किया। यहां उनके विचार एकांगी हो जाते हैं। गरीबों के उत्थान के लिए नेहरू जी ने इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल पालिसी का निर्माण किया था जिसके बारे में मनमोहन सिंह जी ने, नरसिंह राव जी के वित्त मंत्री ने, अपने बजट में स्पष्ट कहा था कि हम नेहरू जी के इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल थेसिस पर बेस्ड बजट ला रहे हैं और एग्रीकल्चर गरीबों के उत्थान के लिए है, इंडस्ट्री उनको महत्व देने के लिए है।

एक सिनेमा आया था, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जिसको ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे प्रख्यात पत्रकार और लेखक ने बनाया था और उसमें शायद आज के सबसे बड़े हिन्दी फिल्म हीरो अमिताभ बच्चन ने काम किया था अभिनेता के रूप में—रोटी, कपड़ा और मकान, यह उस पिक्चर का नाम था। इसमें रोजी और जोड़ दिया है हमारे माननीय सदस्य ने और उसमें एक गाना था:—

"तेरी दो टकयां दी नौकरी, मेरा लक्खां दा सावन जाए"

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र): नहीं, नहीं, तेरी दो टकयां दी नौकरी ने मेरा लाखों का दामन लूट लिया है।

डा० रनाकर पाण्डेय: तेरी दो टकयां की नौकरी, मेरा लक्खां दा सावन जाए,

हाय-हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी

पूरा गाना तो मुझे याद नहीं है, दो ही पंक्तियां याद हैं। जो अच्छी चीजें होती हैं, दो-चार पंक्तियां ही याद होती हैं कविता की।...**(व्यवधान)**...

श्री शंकर दयाल सिंह: पाण्डेय जी, गाने का लुत्फ तो कहने में नहीं है, गाकर कहने में है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मीरा जी के गाने के बाद हमारे गाने का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

श्री शारदा महन्ती: पाण्डेय जी, हमने सुना है कि आप अच्छा गाना गाते हैं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: आप गाकर सुना दीजिए न। तो,

"तेरी दो टकयां दी नौकरी, मेरा लक्खां दा सावन जाए,

हाय-हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी"

लगता है उस गाने का असर हमारे भाई सुरेश पचौरी जी को रहा और "रोटी-कपड़ा और मकान" में "रोजी" शब्द जोड़ा। जो यह विधेयक-1991 का लाये हैं, इसमें समूचे देश के सभी नागरिकों को रहने के लिए मकान, सस्ते दर पर जनता कपड़ा सहित उन्हें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को नौकरी देने तथा तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने के लिए विधेयक लाया गया है और इसमें साफ कहा गया है कि अपने देश के नागरिकों का इस संसार में जीवन-निर्वाह करने के लिए जो जरूरी मूलभूत आवश्यकताएं हैं—रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान, यह सरकार उपलब्ध कराये। उन्हें अनाज, खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं तथा तन ढकने के लिये कपड़ा और रहने के लिए मकान मिले। यह तभी संभव होगा जब रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध हों। लेकिन देश की वर्तमान स्थिति कल्याणकारी राज होने के बावजूद भी भिन्न है। मकानों की भयानक कमी है और उसके अलावा करोड़ों लोगों के पास खाने को अन्न नहीं है, लाखों-करोड़ों नागरिक ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कुपोषण और अखाद्य और बिना अन्न के मर जाते हैं। करोड़ों लोगों के लिए जीविका का कोई साधन नहीं है और अभाव में लोग आतंकवादी और आवारा बन जाते हैं और इसको दूर करने के लिए एक समय-सीमा में रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान सभी को मिले, यही जिस्ट इस विधेयक का है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, भारत की स्वतंत्रता के बाद देश गरीबी के अभिशाप से मुक्त नहीं हो सका और इसमें जितनी गहराई से इंदिरा जी का ध्यान गया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसीलिए उन्होंने किया। गरीबी हटाओ आंदोलन उन्होंने चलाया। लेकिन इंदिरा जी ने यह भी कहा था कि गरीबी एक ऐसा पौधा नहीं है जो एक गमले से निकालकर दूसरे गमले में लगा दिया जाये और गरीबी दूर हो जायेगी। उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी और जो वितरण व्यवस्था है, उसको ठीक करना होगा। भारतीय संविधान में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की स्थापना जन-जन के लिये हो, इसका हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रावधान किया है। संविधान के जो निर्देशक तत्व बने हैं, उसमें निर्वाह मजदूरी और संतोषप्रद जीवन स्तर दिये जाने का वचन दिया गया है और राज्य की आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार से करने को कहा गया है कि धन और उत्पादन के साधनों का आम लोगों के लिए हितकारी केन्द्रण हो, उसका अहितकारी केन्द्रण न होने पाये। 1967-68 में भारत की कुल जनसंख्या 50 करोड़ थी और 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे। उस समय गरीबी रेखा के नीचे जिन्दा रहने वालों की संख्या 20 करोड़ थी। उसके बाद बराबर जनसंख्या वृद्धि के साथ गरीबी घटेगी और बढ़ेगी—ऋण और धन में—पोजिटिव और निगेटिव। लेकिन जो जनसंख्या बढ़ रही है वह दो दूनी चार, चार चौका सोलह, 16 में फिर 16 का गुणा करिये, जो आयेगा उसका गुणा करिए, इस गति से बढ़ रही है। और जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है। जो भारत के अर्थशास्त्री हैं उनकी मान्यता है कि कम से कम 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भयंकर गरीबी और विपन्नता का जीवन जी रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या इस समय 40 करोड़ से अधिक है। 33 से 55 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जिन्दा हैं। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जिन्दा हैं उनमें चार या पांच सदस्यों के परिवार को ध्यान में रखकर के जो गणना की गयी है, विद्वानों ने जो अध्ययन किया है, उसमें जो सबसे गरीब हैं उनकी वार्षिक आय 2265 रुपये है। जो अत्यधिक गरीब हैं उनकी आय 2266 से लेकर 3500 रुपये तक है। जो बहुत गरीब हैं, गरीबी में भी सबसे गरीब, अत्यधिक गरीब, बहुत गरीब हैं उनकी 3501 से लेकर 4800 रुपये तक है। मध्यम वर्ग अर्थात् गरीबों में जो अमीर हैं, उनकी वार्षिक आय 4801 से लेकर 6400 तक है और चार-चार, पांच-पांच लोगों को उनको पालना पड़ता है। आज के समय में 535 रुपए महीने में चार-पांच सदस्यों के परिवार का जिसको पालन करना पड़ता है उसका अनुमान हम कर सकते हैं, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। जब हम उसको जिएं तब मालूम होगा कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की स्थिति क्या है। हमारे यहां 1951 में देश के योजनाबद्ध विकास और लोगों का जीवन-स्तर सुधारने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई और 1956 तक चली। अब हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो रही है और अरबों, खरबों की राशि खर्च करने के बाद भी इस देश में गरीबी समाप्त नहीं हो पाई है और उसमें सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। कुछ सुधार हमने उस क्षेत्र में जरूर किए हैं लेकिन वे नाममात्र के सुधार हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान, चौथड़े लिपटे लोग, उनमें रहने वालों का अभावग्रस्त जीवन, रोजगार की

तलाश में शहरों की ओर बेतहाशा भागते हुए युवकों की भीड़, पटरियों पर रहने वालों की संख्या, निरक्षरता, बीमारी, बाल मृत्यु की दर, ये सब चीजें निरंतर बढ़ रही हैं और गरीबी का दैत्य जो है वह निगल लेना चाहता है इस देश की जनसंख्या को और वह बराबर उसे निगलता जा रहा है। जैसे अजगर निगलता है छोटे-छोटे जीव-जंतुओं को, उसी तरह गरीबी का दैत्य बड़ी भारी जनसंख्या को लील रहा है।

महंगाई ने गरीबों का जीवन और भी नारकीय बना दिया है। सन् 1990 में प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में 17.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उसमें से तिलहन की कीमत जो थी, खाद्य तेलों की कीमत, उसमें 35.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिसंबर, 1990 में अनाज और दालों के भाव बड़ी तेजी से बढ़े और 9.9 से बढ़कर 13.1 हो गए। सब्जियों में 56.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और चाय-काफी में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कीमतों में जो यह बेतहाशा वृद्धि हो रही है उससे सबसे अधिक गरीब मरता है क्योंकि जो अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जिनका उपयोग वह करता है गुड़, रोटी, प्याज, नमक और अगर मिर्च चाहेगा तो थोड़ा सा खाने का तेल भी चाहेगा और वह तेल, गरीबों का खाद्य पदार्थ निरंतर महंगा होता गया। साईकिल पर वह चल सकता है, वह भी महंगी होती गई और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने स्टडी की है, उसने बताया है कि 1971 से अब तक की अवधि में गुड़, चीनी, खांडसारी की कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि खांडसारी के भावों में हुई है। हम देखते हैं कि जहर मिली शराब पीने के कारण मजदूर लोग जगह-जगह मर जाते हैं और उसका व्यवसाय बढ़ाने वाले लोग जो हैं, उसमें भी व्हिस्की 172.4 प्रतिशत और देशी शराब 336.9 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। सॉफ्ट ड्रिंक में 433.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इस प्रकार से ऐसे हालात पूरी अर्थव्यवस्था में व्याप्त हो गए हैं जिससे गरीब वर्ग तड़प रहा है, सिसक रहा है।

"आह भरने का मुझको सलीका नहीं"
उसकी हालत जो है—
"गर किसी ने कहा तो ये खल जाएगा,

गैर की बज्म में चुप रहा इसलिए तेरी महफिल का रौनक बिगड़ जाएगा।"

गरीब शासन का समर्थन करता है, उसको वोट देता है, वह सरकार बनाता है, उसके मत पर हम सब यहां आकर बैठे हैं लेकिन निरंतर दलीय आधार से ऊपर उठकर उसको देखना चाहिए। हम इतने निकम्मे साबित हुए हैं कि हम ने उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के क्षेत्र में उसे और कंगाल बना दिया है और उसकी जो आवश्यकताएं थीं उसे हम पूरा नहीं कर पाए हैं।

नेशनल काउंसिल आफ ऐप्लाइड इकानामिक रिसर्च वालों ने बताया है कि भारत के मध्यम वर्ग की जनसंख्या डेढ़ से दो करोड़ के बीच है और प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की गति से यह बढ़ रही है। राष्ट्रीय आय का इसमें 50 प्रतिशत योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्त जो है, जहां से हम कर्ज लेते हैं, इसके परिणामस्वरूप जो प्रभाव उस पर पड़ेगा उससे गरीब जनता को कोई लेना देना नहीं है। विदेशी मुद्रा का जो उपयोग होता है, दाल, रोटी, पानी और बिजली आदि के लिए उससे महंगाई होती जाती है। विदेशी मुद्रा के मामले में बराबर हमारी हालत खराब होती गई है। उसको थोड़ा बहुत राजीव गांधी के बाद मनमोहन सिंह जी ने जो अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते थे, लेकिन सरकार में आकर अच्छे अर्थशास्त्री होने का बजट भी उन्होंने पेश किया है और हम देखते हैं कि इस बजट का क्या परिणाम पड़ता है। गरीब जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी का नाम लेकर कहा कि गांधी जी की ट्रस्टीशिप पर बेस्ड हमारा बजट है। जवाहरलाल नेहरू के ऐग्रिकल्चरल कांसेप्ट पर बजट हम लाए हैं। विदेशी व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की जो साख गिरा दी थी पिछले सरकारों ने, उसे ठीक करने का काम हमारी सरकार कर रही है। फिर भी 40 हजार करोड़ रुपये का कर्ज 1990 के अंत तक था जो बराबर बढ़ता गया। हमारी पिछली सरकारों ने उनके सामने घुटने टेक दिए। चार साल में दुगुनी वृद्धि हुई है। दिनोंदिन हमारी कर्मकठता की क्षमता घटती जा रही है और व्यक्ति को समाज के स्तर को कायम रखने के लिए काम के घंटे बढ़ाने पड़ रहे हैं।

महोदय, बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है। 7वीं योजना के प्रारंभ में देश में लगभग 1 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार थे और 5 वर्ष में रोजगार चाहने वालों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ के आसपास हो गई है। यह एक चिन्ता की बात है। इस हेतु जवाहर रोजगार योजना चलाई, काम के बदले अनाज देने का काम शुरू किया गया। हमारे भाई ईश दत्त यादव कह रहे थे कि इसी जगह खड़े होकर राजीव जी ने कहा था कि जो एक रुपया हम भेजते हैं गरीब के लिए योजनाओं के तहत उसमें से 15 पैसे उस तक जाते हैं और 85 पैसे मिनिस्टीरियल स्टाफ में, उसको कैसे बांटा जाए इसमें चले जाते हैं, उसी एक रुपए को बांटने में।

तो 5 वर्ष में हमने जो अब तक 2100 करोड़ रुपया जवाहर रोजगार योजना में 1989-90 में स्वीकृत किया था इससे लाभान्वित होने वाले व्यक्ति 2.7 करोड़ हैं। इस योजना को हम ने आरंभ किया लेकिन बराबर पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नरसिंह राव जी की सरकार जवाहर रोजगार योजना पर ध्यान दे रही है और बीच में जो व्यतिक्रम हुआ था उसको फिर से जोड़कर रोजगार देने का काम कर रही है।

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

महोदय, व्यापार एवं उद्योग के भारतीय मंडल फिक्की के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कृषि क्षेत्र में एक व्यक्ति को रोजगार का अवसर निर्माण करने में जितने खर्च की आवश्यकता पड़ती है, वही लघु उद्योग में उससे लगभग चार गुना अधिक धन की आवश्यकता होती है। अतः बेरोजगारी दूर करने के लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं और कृषि रोजगार के अवसर जब हम बढ़ाते हैं तो मुट्ठी भर किसानों के हित में ही हम काम न करें बल्कि जो मजदूर हैं, जो जमीन के मजदूर हैं, जिनको प्राइमरी इकाई का किसान कहते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, चाहे खेत मजदूर हो या किसी चीज की मजदूरी करे, उनके रोजगार देने के अवसर हम बढ़ाएं। अगर इस बिल में पचौरी जी ने रोजी शब्द का इस्तेमाल किया है, अगर उस रोजी शब्द को हमें सार्थक करना है, गांव में जितने लोग हैं, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और हिन्दुस्तान के हर हिस्से में उनमें नक्सलवाद आंदोलन चल रहा है। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उनका शोषण किया जाता है। उनसे दिन भर काम लिया जाता है। जब फसल को काटने के बाद सिर पर गठरी उठाने लगते हैं जमींदार खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने इतनी मेहनत की है। जितनी वह मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का पैसा भी वह जमींदार नहीं देता है। जब उसको पूरी मजदूरी नहीं मिलती है और वह घर वापस जाता है तो अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता है। रात में बच्चा रोता है तो उसको दूध नहीं मिलता है। माताएं आटे में गुड़ मिलाकर दूध के नाम पर जब बच्चे को पिलाना चाहती है तो वह फेंक देता है उस कांसे के कटोरे को और कहता है यह मुझे तुम दूध पिला रही हो या आटे में गुड़ घोल कर पिला रही हो। जिस के घर में तुम काम करती हो उसका कुत्ता तो दूध पीता है और जो दूध वह झूठा कर देता है वह जमीन पर फेंक दिया जाता है। क्या इससे विषमता पैदा नहीं होती? जहां मजदूर अपनी मजदूरी करके सारी ताकत को उत्पादन में लगा देता है उसको अपने परिवार का पेट भरने के लिए अनाज भी नहीं मिलता है। धिक्कार है ऐसे जनतंत्र को, धिक्कार है ऐसे समाजवाद को, धिक्कार है ऐसी डेमोक्रेसी की व्यवस्था को जहां इंसान इंसान का खून चूसता है। किसान जो जमीन पर काम करके अनाज उत्पन्न करता है उसको भरपेट अन्न नहीं मिलता तो समाजवाद का लम्बा-लम्बा भाषण देने का क्या अर्थ रह जाता है। इस विषमता को मिटाने का काम हमारी इस नरसिंह राव जी की सरकार को करना है। उन्होंने जो इंडस्ट्रियल पालिसी रखी है उसमें कोशिश की है, एक जगह इसका प्रयोग किया है यू०पी० में डाला सीमेंट फेक्टरी में। एक करोड़ रुपये में इस फेक्टरी को एक सेठ को बेच दिया था पिछली सरकार ने, मैं इसको पालिटिकल नहीं बनाना चाहता, मैं एक हजार मजदूरों को लेकर प्रधान मंत्री जी के पास गया था। तब प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मजदूरों की हिस्सेदारी उद्योगों में हो। मजदूर खुद उद्योगों के मालिक हों। इसकी शुरुआत मैं डाला सीमेंट से करूंगा। यहां नरसिंह राव जी ने करके दिखाया। आज मजदूर काम करता है उसका पेट भरे, उसके बच्चों का पेट भरे यह होना आवश्यक है। क्या होता है कि जमींदार का बच्चा तो नये-नये कपड़े पहन कर मेला देखने जाता है और मजदूर के बच्चे मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, आंखों में कीचड़ है। साल-दो साल में मां अपने बच्चे को बाजार में गंजी खरीद कर पहनाती है तो बच्चे का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठता है। ये जो विषमता है इसी से नक्सलवाद पैदा होता है। इसी से देश में आंतकवाद पैदा होता है। इसी से जिनके हाथों में काम करने के मशीनी यंत्र होने चाहिए उनके हाथों में स्टेनगन आ गई है। उनके हाथों में ए० के० 47 राइफल आ गई है।

[उपाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) पीठासीन हुए]

इस विषमता को दूर करने के लिए हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा। मेरा भाषण आज समाप्त नहीं होगा, इसे में कंटीन्यू करूंगा।

कल इस सदन के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति ने "श्री सियारामशरण गुप्त" जो हिन्दी के बड़े मानवतावादी और गांधीवादी कवि थे, उनकी पांच खंडों में रचनावली का उद्घाटन किया। "मौर्य्य विजय" कविता में क्या थे अतीत में, क्या थे गुप्त काल में उस चीज को मैं सुनाकर अपना अधूरे भाषण को समाप्त करूंगा क्योंकि पांच बजने वाले हैं।

5.00 P.M.

सभी और उस समय यहां पर सुख ही सुख था,
सब प्रसन्न थे, नहीं किसी को कोई दुःख था।
दुश्चरित्रता नहीं देखने में आती थी,
नहीं किसी की वृत्ति अकार्यों पर जाती थी।
सब प्रेमसहित थे चाहते,
एक दूसरे को सदा,
सद्भाव - पद्म - परिपूर्ण थे,
सबके मानस सर्वदा।
भारत-भाग्याकाश स्वच्छ था सु-प्रसन्न था,
था सर्वत्र सुकाल, विपुल-धन और अन्न था।
फैला था आलोक ज्ञान-रूपी दिनकर का,
हटा रहा था अन्धकार जो भूतल भर का,
दुश्चरित्त-निशाचर देश में,
आते कहीं न दृष्टि थे,

सब दृश्य यहां के दिव्य थे, करते जो सुख सृष्टि थे।।
धीव वीर उस समय सभी थे भारतवासी,
थे अब के-से नहीं दीन, जड़, रूग्ण, विलासी।
आर्योचित ही कार्य सभी कोई करते थे।
रणक्षेत्र में नहीं काल से भी डरते थे।
आलस्य, अनुद्यम आदि का,
पता न लगता था कहीं,
था देश समुन्नत विश्व में,
ऐसा कोई भी नहीं।।

सब कोई उस समय नियमपूर्वक रहते थे, कभी न कोई झूट बात मुंह से कहते थे। शासन का कब कार्य सदा होता था ऐसे-स्वयं कर्म ही राज-काज करता हो जैसे। इन शब्दों के साथ में अपना अधूरा भाषण समाप्त करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You will continue. Private Member's Legislative Business is over.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Sir, I am on a point of order.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Sir, the Home Minister was to make a statement on the Faizabad bomb blast. *(Interruptions).*

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Sir, with your permission...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Point of order on what?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, the Home Minister said that at 5 p.m. he will make a statement on the Faizabad bomb blast. He said that he has asked for fax from the UP Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I have no information.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): Sir, on Faizabad incident, the Home Minister has agreed that he will inform the UP Government and get a fax message. I am told that the fax message has just arrived and it is being processed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, we will take up special mentions.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (उत्तर प्रदेश): सादर साहब। अभी तक पता ही नहीं चला। अब तक तो अमेरिका से भी खबर आ जाती।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Half-an-hour discussion will continue. We will take up special mentions first.

श्री शंकर दयाल सिंह: उपसभाध्यक्ष जी, मैं केवल यह जानना चाहता था कि कल हमने आधे घंटे की चर्चा शुरू की थी, लेकिन आप जानते हैं कि कल सदन का मूड कैसा था। बीच बीच में अवरोध होते रहे। इंटरप्शन्स होते रहे और नतीजा यह हुआ कि हमारी बात बीच में कटती रही। मैंने शुरूआत जरूर की थी और मैं चाह भी रहा था कि अपनी बात पूरी करूं, लेकिन में बहुत कुछ अपनी बात नहीं कह सका। आज भी हम लोगों के पास जो एडीशनल एजेन्डा आया है, सप्लीमेंटरी लिस्ट आफ बिजनैस, उसमें लिखा है—

you are going to take up further discussion regarding HEC.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MOSADKAR): We have not closed that subject.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Sir, that discussion was inconclusive. It is a very important discussion and many Members are going to participate in it. If you cannot give me time today, Kindly fix the time for tomorrow and tell me at what time the Minister will be available.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We can take it up after the special mentions.

श्री शंकर दयाल सिंह: स्पेशल मेंशन्स करीब 35 हैं। स्पेशल मेंशन्स होते होते 8 बज जाएंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर): आठ क्यों बजेंगे?

श्री शंकर दयाल सिंह: आप इसके लिए कल का टाइम्स फिक्स कर दीजिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We cannot fix the time. But we will see to it.

श्री सन्तोष बागड़ोदिया (राजस्थान): स्पेशल मेंशन्स तो दो हफ्ते से पड़े हुए हैं।

श्री शंकर दयाल सिंह: मैं दो महीने से इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। मुझे अपनी बात कहने दीजिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You will recollect that this subject was taken up yesterday. Everybody said that we should take up special mentions first. Last week's special mentions are still pending. Let us give priority to the special mentions. *(Interruptions).* In fact it was to be taken up immediately after the Question Hour.

श्री शंकर दयाल सिंह: आप स्पेशल मेंशन के बाद हाफ एन आवर डिसक्शन लेंगे। मैं केवल एक बात कह देना चाहता हूं। कल परसों से मैं एक बात देख रहा हूं कि दूरदर्शन पर राज्य सभा और संसद के बारे में जो कुछ आता है उसमें निष्पक्षता का अभाव दिख रहा है। में यह नहीं कहता और न ही मैं यह चाहता हूं कि उसमें किसी अन्य का न हो। जैसे कि मान लीजिये जिन मुद्दों की जिस सदस्य ने शुरूआत से उनका नाम ओमिट रहता है और जो लोग अंत में बोलते है उनका नाम जुड़ा रहता है। मैं चेयर से अपील करता हूं कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। कोई भी चीज़ आए, वह निष्पक्षता के साथ दूरदर्शन पर आनी चाहिये। **(व्यवधान)** हम लोग जब हिन्दी में बोलते हैं तो मैंने यह देखा है कि अंग्रेजी में जब भी दूरदर्शन पर ब्यौरा दिया जाता है तो उसमें हिन्दी में बोलने वालों को नेग्लेक्ट किया जाता है। या तो आप प्रस्ताव पारित कर दें कि कोई हिन्दी में नहीं बोले, इस सदन की भाषा अंग्रेजी है तब तो मैं मान सकता हूं लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो लोग हिन्दी में बोलते है, बहुत महत्वपूर्ण बातें बोलते है उनकी अंग्रेजी में जो रिपोर्टिंग होती है उसमें हिन्दी वालों को नेग्लेक्ट किया जाए, मैं इस के लिए विरोध प्रकट करता हूं **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय: हिन्दी में ही होनी चाहिये, हर हालत में हिन्दी पहले लिखी जानी चाहिये **(व्यवधान)** तब अंग्रेजी में होनी चाहिये **(व्यवधान)**

श्री सिकन्दर बख्त (मध्य प्रदेश): हाऊस का जो मुतालबा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएं, मैं यह जानना चाहता हूं किस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I have no such information... *(Interruntions)...*

श्री शंकर दयाल सिंह: सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिये **(व्यवधान)**

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar): The Minister for Home is sitting here. Let him inform and enlighten the Home ... *(Interruptions)* ...

SHRI M.M. JACOB: Your proposal has been conveyed ... *(Interruptions)...*

SHRI YASHWANT SINHA: What is this Sir? ... *(Interruptions)* ...

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): Let the Minister take the House into confidence ...*(interruptions)* ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now we shall take up special mentions... *(interruptions)...*

श्री शंकर दयाल सिंह: सदन को विश्वास में ले कर या तो प्रधानमंत्री जी को स्टेटमेंट देना चाहिये नहीं तो जिन्होंने रिज़ाइन किया है उनको स्टेटमेंट देना चाहिये। आप सदन की परम्परा को देख लीजिये। जब कभी भी रेज़िगनेशन हुआ है या मंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिये नहीं तो प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिये। **(व्यवधान)**

SHRI M. M. JACOB: My hon. friends, I do not know...*(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The Minister is on his feet. Please, let him speak...*(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The Ministry has tendered his resignation, what more do you want? ...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): परम्परा यही है कि हाऊस में अनाऊंसमेंट होना चाहिये, बाहर नहीं होना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि टी० वी० पर आ जाए **(व्यवधान)** इसलिए उससे पहले सदन में विधिवत प्रधानमंत्री को आ कर कहना चाहिये **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: ऐसा कौन सा कानून है **(व्यवधान)** सदन में आना जरूरी नहीं **(व्यवधान)**

श्री सन्तोष बागड़ोदिया: ऐसा कौन सा नियम है? **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई कनवेंशन नहीं है **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please sit down...*(Interruptions)...*

यह सदन में पहले आना चाहिये (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर): माथुर जी आप बैठिये। **(व्यवधान)** बैठिये। बागड़ोदिया जी आप भी बैठिये **(व्यवधान)** Mr. Jacob wants to say something, allow him to say *it...(Interruptions)...*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, I would just like to raise one point for your kind consideration. In the morning I had personally spoken to Mr. Chavan in the House itself and he told me that the External Affairs Minister had submitted his resignation but he did not know whether it had been accepted. My point is simple. I do not ask for convention or non-convention. I would only like the Congress Members to realise our agony. Please understand our point *(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let us not have...*(Interruptions)* Mr. Ahluwalia, please sit down ... *(Interruptions)*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I have a right to disagree. My point is, when Parliament is in Session and when the matter...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What is your objection?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Let me have my say. It is in the fitness of gravity of the situation that I appeal to the Government to kindly respond to our request to enlighten the House about what has happended with regard to the reported resignation of the Minister. The House may kindly be enlightened because if the House is not enlightened and when we learn the news from the newspapers, we feel humiliated. Therefore, Sir, I request the Government to kindly respond. What is their reaction to my proposal?

SHRI M. M. JACOB: Sir the Home Minister made statement in the morning ...*(Interruptions)*

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: It was not a statement.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Mathur, let us not fight orr the words.

SHRI M. M. JACOB: You can correct the word in any manner you like. What I said was, he was saying a couple of words; you can interpret it by any word that you like. The Home Minister said in the House that the External Affairs Minister, Mr. Solanki, has tendered his resignation. Some Members want to know whether that has been accepted or not. That is precisely the question which several Members are asking now. To my information, the External Affairs Minister's resignation was not accepted at that point of time when I enquired. I can go again and find out if there is any new development of accepting the resignation or not.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I think that should be enough. Shri Ram Awadesh Singh ...*(interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: What more do they want to know? ... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): If you want to take up Special Mentions ... *(Interruptions)*

श्री जगदीश प्रसाद माथुरः इस सदन के अन्दर आना चाहिये **(व्यवधान)**

श्री शंकर दयाल सिंहः उपसभाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है। माधव सिंह सौलंकी ने इस्तीफा दिया है लेकिन माधव सिंह सौलंकी शरीफ आदमी हैं **(व्यवधान)** माधव सिंह सौलंकी को बलि का बकरा बनाया गया। इसलिए जब तक उनका स्टेटमेंट नहीं आता है, सारी बातें नहीं खुलती हैं, एक भले आदमी को बलि का बकरा बना दिया गया लेकिन जो असलियत है वह सदन के सामने आनी चाहिए। हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि सारी बातें सदन के सामने आनी चाहियें **(व्यवधान)** लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि असलियत सदन के सामने आनी चाहिये **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर): बैठिये, बैठिये। **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालियाः उधर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी **(व्यवधान)**

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): We wanted to know the facts about that note and the name of the lawyer.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We are going to discuss it ... *(Interruptions)*

SHRI PASUMPON THA-KIRUTTINAN (Tamil Nadu): This is a

[Shri Pasumpon Thakiruttinan] very serious matter. We want to hear either the Prime Minister or the Home Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That subject is *over...(Interruptions)*

श्री ईश दत्त यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन में **(व्यवधान)** बी० जे० पी० के लोगों ने अयोध्या की एक मस्जिद में **(व्यवधान)** गृह मंत्री ने उस पर यह कहा था कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से कंटेक्ट कर के सदन में वक्तव्य देंगे **(व्यवधान)** मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि बी० जे० पी० की सरकार को **(व्यवधान)**

श्री शंकर दयाल सिंह: मैं समझता हूं इस मामले को पहले आप लीजिये **(व्यवधान)** प्रधानमंत्री जी को आना चाहिये और उनको यहां बयान देना चाहिये **(व्यवधान)** किसी भी जनतांत्रिक प्रणाली में ऐसी परम्परा है **(व्यवधान)** यहां प्रधानमंत्री जी आते **(व्यवधान)**

SHRI MENTAY PADMANABHAM: May I make a submission? When we raised the matter...*(Interruptions)* Kindly hear me for a minute...*(Interruptions)* This is really unfortunate. In the morning the understanding given to the House was that the Home Minister would somehow or other get the information, inform the Prime Minister and say something here. But the Government is now adopting delaying tactics. It is trying to evade the question^. Under these circumstances as a protest we are walking out.

SHRI JAGDISH PRASAD MAXHUR: It is an insult to the House. The news was broken in the House and yet we are not getting any information. We are walking out in protest.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I only submit this is a total violation of the assurance given by the Government. In protest of that we are walking out.

(At this stage some hon. Members ', left the Chamber.)

j SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I have a point of order....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That is over now.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: महोदय, स्वराष्ट्र मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि बिहार में जो एक एम० एल० ए० की नृशंस हत्या हुई है, उसके बारे में वे अपना बयान सदन में आज ही रखेंगे, सदन उठने के पहले। गृह मंत्री जी से मैं स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं कि क्या आज सदन उठने के पहले बिहार सरकार के एम० एम० एस० श्री हेमन्त साही की जो नृशंस हत्या लालू यादव की सरकार ने .....**(व्यवधान)** की है उसका बयान रखा जायेगा या नहीं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर): सदन जब उठेगा तब देखेंगे।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: नहीं, नहीं। सदन उठने का वक्त आ रहा है।

SHRI M. M. JACOB: So far information has not been received from the Bihar Government. We are still awaiting it. We hope we will be able to get the information and come back to the House tomorrow.

SHRI V. NARAYANASAMY: The Minister had assured us that he would make a statement about the Nagaland episode. The Governor of Nagaland has dissolved the Assembly in an unconstitutional manner. He has acted beyond the Constitutional provisions, beyond the procedure. The Home Minister said he would come before the House with a statement. But so far there has been no statement. I would like to know when the Home Minister will come with a statement.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): He is conscious of it and he will make the statement as soon as he has all the information.

SHRI V. NARAYANASAMY: But the Home Minister is not responding.

SHRI M. M. JACOB: He had not indicated the time by when he would be able to come. We are aware of it and we are trying to get full facts about it before making a statement.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Minister, you see how so many Members are agitated .....

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I have a point of order. Many a time in this House I pointed out that as Finance Minister Mr. V. P. Singh went to Stockholm on 10th June 1985 to hold closed-door discussions...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI

BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What are you saying? They have all gone now.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I know they have gone.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): So you also want go!

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY. But before I go you must listen to me. I want the Government to confirm this because the press in India is totally blacking out this. The Front Prime Minister, Mr. V. P. Singh, had said that he had nothing to do with Bofors till the matter came to his desk for his signature. It is not true. He had gone to Stockholm on 10th June 1985. The press has not done any investigation into it. So I would like the Government at least to come out and tell me because the whole Bofors cover-up hinges on this one fact. We know how much Mr. Arun Nehru was involved. We should know how much Mr. V. P. Singh was involved. The whole picture should come out.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जरा सुन लें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Ram Nareshji, please sit down. Let us go in an orderly way. Are we converting this into a Zero Hour, or what? I do not know. Let us go to the business. Mr. Santosh Bagrodia.

श्री राम नरेश यादव: 12 हजार से अधिक छात्र हमारे देश के विघटित सोवियत संघ में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उनकी यूनिवर्सिटियों और कालेजों में विघटन के पश्चात् एक ऐसी समस्या पैदा हो गयी है उनके लिए कि वहां पर उन लोगों का सारा भविष्य अधर में पड़ा हुआ है। मैं बराबर केन्द्र सरकार से आग्रह करता रहा हूं कि अब वहां पर गणराज्य रहा नहीं, सारा विघटित हो गया है और कजाकिस्तान तथा लाटविया ने यहां तक कह दिया है कि जाना हो तो वापस हिन्दुस्तान चले जाओ। यह स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे ताकि उन छात्रों का भविष्य जो अधर में पड़ा हुआ है वह अधर में न रहे और वे शिक्षा को प्राप्त कर सकें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr Bagrodia, please speak on your special mention.

SPECIAL MENTIONS

Need to Explore Tourism Potential in the State of Rajasthan

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, after the turmoil in the House for the whole day let us now talk about some development in the country. I needed protection not only from the Opposition but even from my friends because when you were calling my name, somebody else was jumping. And finally I have got my opportunity now and I thank you for ^it. Sir, it is a well-established fact that foreign exchange...*(Interruptions)*... is an absolute necessity for the country. There are various methods by which we are earning foreign exchange. But one of the most important earners of foreign exchange is tourism. But what are we doing for tourism in our country? Tourism can be actually developed and it can increase by leaps and bounds, particularly after the rupee convertibility. I mean that things in our country have become easily accessible and we can market our country's goods among the foreign tourists at a very low rate. We have to take full" advantage of this. Fortunately, Sir, the Tourism Minister is here and I would request him to listen to what I am going to say.

Sir, in 1989, there were 13 lakh foreign tourists and in 1990, it was the same. But, in 1991, in the first half of 1991. there was an 18 per cent decrease and it must be increased. With our economy being opened up, we have to increase our targets for tourism. Rupees two thousand and eight hundred crores is the estimated amount which we should have earned in 1990. Now we must get more than five thousand crores of rupees in 1992 and there should be a 20 per cent increase every year till 2000 A.D. How do we get it?

Sir, we have been so far able to sell our beaches in the country and a lot of other places for tourism like Goa and a